कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 14 | जुलाई 16–31, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–12

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी मंच की स्थापना (ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन)

4 जुलाई को देश के अलग–अलग उद्योगों और सेवा क्षेत्रों की 41 नेशनल फेडरेशनों, यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ–साथ महिलाओं और आम लोगों के संगठनों ने मिलकर, सर्व हिंद निजीकरण विरोधी मंच के बैनर तले एक साथ आने का फ़ैसला किया। मज़दूर एकता लहर इस फ़ैसले को निजीकरण के ख़िलाफ़ देश भर में चल रहे संघर्षों को एक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम मानती है। स्थापना सभा में जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रेस विज्ञप्ति

रेलवे, रक्षा, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, बैंक, पोर्ट और डॉक जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 नेशनल फेडरेशनों, यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ–साथ महिलाओं और आम लोगों के संगठनों ने मिलकर, सर्व हिंद निजीकरण विरोधी मंच "ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (ए.आई.एफ.ए.पी.)", के बैनर तले एक साथ आने का फ़ैसला किया है। सर्व हिंद निजीकरण विरोधी मंच (ए.आई.एफ.ए.पी.) का उद्देश्य केंद्र सरकार की मज़दूर–विरोधी, जन–विरोधी और देश–विरोधी निजीकरण की नीतियों का संयुक्त रूप से विरोध करना है। जिन नीतियों का मक़सद है – लोगों के धन से बनी सार्वजनिक संपत्ति को हिन्दोस्तानी और विदेशी बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीपतियों को सौंप देना।

4 जुलाई, 2021 को ए.आई.एफ.ए.पी. की एक ऐतिहासिक स्थापना सभा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस सभा को डॉ. ए. मैथ्यू द्वारा संचालित किया गया और इस सभा में निम्नलिखित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

1. यह मंच जनता के धन से बनी संपत्तियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करेगा। यह निजीकरण के ख़िलाफ़ सभी क्षेत्रों के मज़दूरों के एकजुट संघर्ष को मजबूत करने के लिए काम करेगा और लोगों के बीच एक सांझी समझ बनाने के लिए प्रयास करेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र का निजीकरण, कैसे मज़दूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी है। यह महिलाओं और युवाओं की भागीदार को इस सांझे संघर्ष में एकजुट करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम करेगा।
2. एक वेबसाइट बनाई जाएगी, जहां ए.आई.एफ.ए.पी. के सदस्य संगठनों के सभी संघर्षों के साथ–साथ मंच की अन्य गतिविधियों को भी प्रकाशित किया जाएगा। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं और आम मज़दूरों को उनके अपने संघर्षों की रिपोर्ट ए.आई.एफ.ए.पी. को भेजने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
3. एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा जिसके द्वारा ए.आई.एफ.ए.पी. की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी जानकारियां आम लोगों और सभी मज़दूरों के बीच आसानी से पंहुचाई जा सकेंगी।
4. हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग के लिए इस तरह के मंच का निर्माण और विकास, यह वक्त की मांग थी और इसे मजबूत करने के लिए हर संगठन को काम करना चाहिए।
5. यह भी निर्णय लिया गया कि रक्षा, बीमा, बैंक और बिजली कर्मचारियों के चल रहे संघर्षों के समर्थन में ए.आई.एफ.ए.पी. की ओर से बयान जारी किए जाएंगे।
6. बैठक के दौरान उपस्थित, बिजली के क्षेत्र से जुड़े मज़दूर संगठनों ने आयुध–कारखानों के निगमीकरण की घोषणा के ख़िलाफ़ उनके संघर्ष में रक्षा क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों का पूरा समर्थन करने का संकल्प लिया।
7. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा अधिनियम उन पर भी लागू होने के बावजूद, वे अक्तूबर 2020 में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बिजली वितरण के निजीकरण को रोकने के लिए हड़ताल पर थे। बिजली कर्मचारियों के एकजुट संघर्ष ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को प्रस्तावित निजीकरण के फ़ैसले को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।
8. यह निर्णय लिया गया कि मंच के गठन का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा और देश के सभी संगठनों को ए.आई.एफ.ए.पी. से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

शेष पृष्ठ 11 पर

रक्षा क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों के अधिकारों पर केंद्र सरकार के हमले की निंदा करें!

25 जून को हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की वेबसाइट पर यह बताया गया था कि रक्षा कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा आयुध निर्माण बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को भंग किये जाने और इसको 7 निगमों में बदले जाने के निर्णय का एकजुट रूप से विरोध करने का फ़ैसला लिया है। 27 जून को फेडरेशनों की एक विस्तारित बैठक में 26 जुलाई से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 8 जुलाई को संबंधित अधिकारियों को हड़ताल का नोटिस देने का निर्णय लिया गया।

इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल भी रक्षा उत्पादन क्षेत्र के निजीकरण के लिए इसी तरह का प्रयास किया था। परन्तु कर्मचारियों के लगातार संघर्ष के कारण सरकार का वह क़दम विफल हो गया था। केंद्र सरकार इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि रक्षा कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष के कारण पहले भी छह रक्षा मंत्रियों को ओ.एफ.बी. का निगमीकरण न करने के लिए एक लिखित वचन देना पड़ा था।

रक्षा क्षेत्र के निजीकरण की अपनी योजना के तहत, इस बार केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में 30 जून को "आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश–2021" के नाम से एक अध्यादेश जारी किया है। उसका उद्देश्य रक्षा कर्मचारियों के प्रतिरोध को क्रूरता से कुचलना है।

हिन्दोस्तान के राष्ट्रपति द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रक्षा उपकरण, सेवाओं और संचालन या रखरखाव के साथ–साथ रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी करने का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि "इस अध्यादेश के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति अवैध हड़ताल शुरू करता है या उसमें जाता है या हड़ताल पर रहता है अन्यथा ऐसी किसी भी हड़ताल में भाग लेता है, वह एक निश्चित अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर दस हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ, या दोनों – कारावास एवं जुर्माने के साथ दंडित होगा।"

"आवश्यक रक्षा सेवाओं के कामकाज, सुरक्षा या रखरखाव" को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को खुली छूट देने के अलावा, यह अधिसूचना प्रबंधन को बिना किसी जांच के हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार भी देती है।

यह अध्यादेश अन्य कामकाजी लोगों और संगठनों को भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों का समर्थन करने से रोकने का प्रयास करता है क्योंकि इस अध्यादेश के तहत अवैध घोषित की गयी हड़ताल में भाग लेने के लिए, दूसरों को उकसाने वाले या इस तरह के कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों को भी दंडित किया जाएगा।

परन्तु, केंद्र सरकार के इस कठोर क़दम से रक्षा क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों का हौसला कम नहीं हुआ है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों के पांच संगठनों ने एक संयुक्त प्रस्ताव में घोषणा की है कि वे न केवल इस क़दम की वैधता को चुनौती देंगे बल्कि इसके विरोध में 8

शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

- लेनिन और समाजवाद के निर्माण के लिए संघर्ष 2
- फादर स्टेन स्वामी की हत्या 6
- विशाखापट्टनम इस्पात प्लांट 6
- रेल का निजीकरण (भाग 5) 7
- अमरीका का विश्व पर प्रभुत्व जमाने का एजेंडा 8
- महंगाई के ख़िलाफ़ प्रदर्शन 10
- नजफगढ़ के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन 10
- पंजाब के स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 10
- मध्यप्रदेश में नर्सों की हड़ताल 11

लेनिन की 151वीं जयंती के अवसर पर :

भाग 2 : लेनिन और समाजवाद के निर्माण के लिए संघर्ष

कॉमरेड लेनिन की 151वीं जयंती के अवसर पर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा प्रकाशित निबंधों की श्रृंखला में यह दूसरा लेख है। इस श्रृंखला में पहला लेख, 3 मई, 2021 को प्रकाशित हुआ था।

7 नवंबर, 1917 (तत्कालीन रूसी कैलेंडर के अनुसार, 25 अक्तूबर) को रूस के मज़दूरों, सैनिकों और नाविकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रतिनिधियों को गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने मंत्रालयों, स्टेट बैंक के साथ–साथ रेलवे स्टेशनों, डाक और टेलीग्राफ कार्यालयों पर भी कब्ज़ा कर लिया। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग ने रूस में राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

कार्यभार संभालने के पहले छः महीनों के भीतर ही सोवियत सरकार ने रूसी और विदेशी स्वामित्व वाले सबसे बड़े पूंजीवादी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। दिसंबर 1917 में सभी निजी स्वामित्व वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश के लिए एक ही स्टेट बैंक का निर्माण हुआ। फरवरी 1918 तक रेलवे, विदेश व्यापार, व्यापारिक जहाजरानी, खदानें और बड़े पैमाने के कारख़ाने सभी लोगों की संपत्ति में तब्दील किये जा चुके थे।

रूस में श्रमजीवी क्रांति की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को दहशत में डाल दिया था। उस समय की प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों ने नए सोवियत राज्य को गिराने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों में आपसी सहयोग किया। इन प्रयासों में, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सशस्त्र हस्तक्षेप, विचारधारात्मक विध्वंस और पार्टी के अन्दर उनके अपने एजेंटों को बनाने की कोशिशें, जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। अमरीका, ब्रिटेन और अन्य साम्राज्यवादी राज्यों ने बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व पर हर संभव हमले को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समाजवाद के निर्माण की प्रक्रिया को विफल करने के लिए हर प्रकार की तोड़–फोड़ की हरकत का समर्थन किया।

इसलिए समाजवाद के निर्माण में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में सोवियत मज़दूरों और किसानों का साम्राज्यवाद और उसके एजेंटों के ख़िलाफ़ लगातार, बहुतरफा संघर्ष भी शामिल था। इस संघर्ष में पार्टी के भीतर भी मार्क्सवाद–विरोधी प्रवृत्तियों और गुटों के ख़िलाफ़ एक कठोर और समझौता न करने वाला संघर्ष भी शामिल था, एक ऐसा संघर्ष जिसका नेतृत्व लेनिन ने मरते दम तक किया। लेनिन का असामयिक निधन जनवरी 1924 में हुआ था।

शांति, ज़मीन और रोटी

ज़ार को उखाड़ फेंकने के बाद, फरवरी 1917 से अक्तूबर के अंत तक बोल्शेविक पार्टी ने शांति, ज़मीन और रोटी की तत्काल मांग के समर्थन में बहुसंख्यक मज़दूरों, किसानों और सैनिकों को एकजुट करने में सफलता पाई थी। उस समय जिस तरह के हालात बने उन हालातों में लोगों को उनके अपने अनुभव से विश्वास हो गया था कि पूंजीपतियों और निम्न–पूंजीपतियों की पार्टियों द्वारा बनाई गई अंतरिम सरकार इन मांगों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ थी। इसलिए उन्होंने बोल्शेविक नारे "पूरी सत्ता सोवियतों के हाथ!" का समर्थन किया।

नए सोवियत राज्य की स्थापना के बाद, उसके सामने तत्कालीन कार्य था – शांति, ज़मीन और रोटी की मांग को हक़ीक़त में पूरा करना।

विंटर पैलेस के ऊपर धावा बोलने के अगले ही दिन, मज़दूरों की सोवियतों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने शांति पर एक हुक्मनामे को और ज़मीन पर एक हुक्मनामे को तुरंत मंजूरी दी। इस कांग्रेस में कॉमरेड लेनिन की अध्यक्षता में पहली सोवियत सरकार की स्थापना की गयी, इसी कांग्रेस में कॉमरेड लेनिन को जन कमीसारों (जन–प्रतिनिधियों) की परिषद का अध्यक्ष चुना गया था।

इस कांग्रेस में पारित शांति पर हुक्मनामे में प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े सभी राष्ट्रों और लोगों के लिए एक प्रस्ताव था कि वे सभी किसी भी अन्य देश की ज़मीन और लोगों पर कब्ज़ा किये बिना, दुनिया में एक न्यायसंगत और लोकतांत्रिक शांति की दिशा में तुरंत बातचीत शुरू करें। सोवियत सरकार ने इस तरह की बातचीत तुरंत शुरू की और 3 मार्च, 1918 को जर्मनी और उसके सहयोगियों के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर भी किए। इसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी समाप्त हो गई। (प्रथम विश्व युद्ध से रूस की वापसी पर बॉक्स–1 देखें)

ज़मीन पर हुक्मनामे ने सारी कृषि भूमि को व्यापार की एक वस्तु के बजाय, सभी लोगों की सार्वजनिक संपत्ति में परिवर्तित कर दिया, जिस पर खेती करने वालों को इसका उपयोग करने की मंजूरी दी गई। भूमि सम्पदा जो अब तक बड़े ज़मींदारों और चर्च की निजी संपत्ति थी, बिना मुआवज़ा दिए ज़ब्त कर ली गई थी। इन उपायों के कार्यान्वयन से किसानों के सामंती उत्पीड़न के अंतिम अवशेष समाप्त हो गए। भूमि के स्वामित्व और उपयोग में ये क्रांतिकारी परिवर्तन रूसी सोवियत–संघीय समाजवादी गणराज्य के पहले संविधान में भी सम्मिलित किये गये थे, जिसे जुलाई 1917 में आयोजित सोवियत संघ की पांचवीं कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था।

1918 से 1920 की अवधि के दौरान, शहरी मज़दूरों और लाल सेना के सैनिकों को भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सोवियत राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती थी। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप, अनाज के उत्पादन में भारी कमी हुई थी। युद्ध से रूस के हटने के बाद, एंग्लो–फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों और उनके सहयोगियों ने नई सोवियत सत्ता को गिराने के लिए देश के भीतर प्रतिक्रियावादी ताक़तों को उकसाना शुरू कर दिया था। उन्होंने उन्हें पैसे और हथियार दिए। (विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ संघर्ष पर बॉक्स–2 देखें) इस तरह मज़दूरों और किसानों के नए राज्य को साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा समर्थित प्रतिक्रियावादी ताक़तों के ख़िलाफ़, लंबे समय तक एक गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा।

साम्राज्यवादियों द्वारा भड़काए गए विद्रोहों से नई सोवियत व्यवस्था की सुरक्षा के लिए लड़ रहे शहरी मज़दूरों और सैनिकों को खाद्य–आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सोवियत राज्य को खाद्यान्न की ख़रीद और वितरण पर नियंत्रण करना पड़ा। इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए अपनाए गए, असाधारण उपायों को "युद्ध कम्युनिज़्म" के नाम से जाना जाता है। किसानों की उपभोग–आवश्यकताओं से बचा कृषि उत्पादों का संपूर्ण अधिशेष

शेष अगले पृष्ठ पर

रूस में श्रमजीवी क्रांति की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को दहशत में डाल दिया था। उस समय की प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों ने नए सोवियत राज्य को गिराने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों में आपसी सहयोग किया। इन प्रयासों में, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सशस्त्र हस्तक्षेप, विचारधारात्मक विध्वंस और पार्टी के अन्दर उनके अपने एजेंटों को बनाने की कोशिशें, जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। अमरीका, ब्रिटेन और अन्य साम्राज्यवादी राज्यों ने बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व पर हर संभव हमले को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समाजवाद के निर्माण की प्रक्रिया को विफल करने के लिए हर प्रकार की तोड़–फोड़ की हरकत का समर्थन किया।

बॉक्स–1 : प्रथम विश्व युद्ध से रूस की वापसी

नई सोवियत सरकार ने "युद्ध रत सभी लोगों और उनकी सरकारों से एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने का आह्वान किया।" हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, सोवियत सरकार ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत शुरू करने का फैसला किया। 3 दिसंबर, 1917 को ब्रेस्ट–लिटोव्स्क में वार्ता शुरू हुई। 5 दिसंबर को एक युद्धविराम के फ़ैसले पर हस्ताक्षर किए गए।

युद्ध विराम की वार्ता ऐसे समय में हुई जब देश एक आर्थिक संकट की स्थिति में था। रूसी सैनिक युद्ध से थक चुके थे। उनमें से कई युद्ध के मोर्चे को छोड़ रहे थे। वार्ता के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि जर्मन साम्राज्यवादी, पहले के साम्राज्य के क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने के लिए आतुर थे। ऐसी परिस्थितियों में युद्ध जारी रखने का मतलब था – अपने नवजात सोवियत गणराज्य के अस्तित्व को ख़तरे में डालना।

युद्ध से राहत पाने के लिए मज़दूर वर्ग और किसानों को शांति की कठिन शर्तों को स्वीकार करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ा। सोवियत सत्ता को मजबूत करने के लिए उस समय कुछ राहत की ज़रूरत थी। एक नई नियमित सेना – लाल सेना – को बनाने के लिए कुछ समय की ज़रूरत थी, जो दुश्मन के हमले से देश की रक्षा करने में सक्षम हो।

ट्रॉट्स्की, बुखारिन और "वाम कम्युनिस्टों" के एक गुट ने युद्ध को जारी रखने की मांग करते हुए, लेनिन के ख़िलाफ़ पार्टी के भीतर एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। वे देश को जर्मन साम्राज्यवादियों के मंसूबों को हक़ीक़त में बदलने की साज़िश में फंसा रहे थे। वे नवजात सोवियत गणराज्य को, जिसके पास अभी तक एक नियमित सेना तक नहीं थी, उसको जर्मन साम्राज्यवाद के हमले का शिकार बनाने की जुर्रत कर रहे थे।

10 फरवरी, 1918 को ब्रेस्ट–लिटोव्स्क में चल रही शांति वार्ता टूट गई। ट्रॉट्स्की, जो ब्रेस्ट–लिटोव्स्क में सोवियत प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के प्रत्यक्ष निर्देशों का उल्लंघन किया। ट्रॉट्स्की ने घोषणा की कि सोवियत गणराज्य ने जर्मनी द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर शांति समाप्त करने से इंकार कर दिया है। साथ ही, उन्होंने जर्मनी को यह भी सूचित किया कि सोवियत रूस लड़ाई नहीं करेगा और सेना को युद्ध से हटाना जारी रखेगा।

जर्मन सरकार ने युद्ध विराम को तोड़ा और हमले की तैयारी शुरू कर दी। जर्मन सेना तेज़ी से आगे बढ़ी और रूस के एक बड़े क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया और यहां तक कि पेत्रोग्राद पर कब्ज़ा करने की धमकी दी। बोल्शेविक पार्टी और सोवियत सरकार ने आह्वान किया कि – "समाजवादी पितृभूमि ख़तरे में है!" – इसके जवाब में मज़दूर वर्ग ने बहुत ही बहादुरी से अपनी लाल सेना की रेजिमेंटें बनानी शुरू कीं।

23 फरवरी को पार्टी की केंद्रीय समिति ने जर्मन कमांड की शर्तों को स्वीकार करने और एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। ट्रॉट्स्की और बुखारिन के विश्वासघात की सोवियत गणराज्य को भारी क़ीमत चुकानी पड़ी। लाट्विया और एस्टोनिया, जर्मन हाथों में चले गए। यूक्रेन को सोवियत गणराज्य से अलग कर दिया गया और जर्मन राज्य की एक जागीर में बदल दिया गया। लेकिन इस शांति संधि के द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गयी शांति ने पार्टी और सोवियत सत्ता को मजबूत करने, अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने और एक शक्तिशाली लाल सेना का निर्माण करने के लिए राहत दी।

उत्पाद (सरप्लस), राज्य द्वारा एक निश्चित मूल्य पर ख़रीदा जाता था। अधिकांश किसानों ने इस नीति को स्वीकार किया। समृद्ध किसानों का एक अल्पसंख्यक भाग, जिन्हें "कुलक" के नाम से जाना जाता है, उसने अपने मुनाफ़ों को बढ़ाने के लिए देश में अनाज की कमी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने अपनी उपज को राज्य से छुपाया ताकि वे खुद उसको अत्यधिक दरों पर बेच कर खूब मुनाफ़े कमाएं।

सोवियत सरकार ने जमाखोरों और मुनाफ़ाखोरों के ख़िलाफ़ एक ठोस अभियान चलाया। सरकार ने कुलकों के ख़िलाफ़ संघर्ष में गरीब किसानों की सहायता करने के लिए शहरों से मज़दूरों की टुकड़ियों को लामबंध करके गांवों में भेजा।

नवंबर 1919 में अक्तूबर क्रांति की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर लेनिन ने लिखा :

"किसानों की खेती, छोटे–व्यापार की वस्तुओं के उत्पादन में केन्द्रित है और यही, पूंजीवाद के पनपने लिए, एक अत्यंत व्यापक और बहुत ही मजबूत आधार प्रदान करता है और इसकी जड़ें आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही गहरी होती हैं। यह एक ऐसा आधार है जिस पर पूंजीवाद या तो क़ायम है या कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ एक ज़िंदगी और मौत के संघर्ष में फिर से एक नए सिरे से उभरता है। इस संघर्ष का रूप है – एक तरफ निजी पूंजी बनाने के लिए सट्टेबाज़ी और मुनाफ़ाखोरी और दूसरी तरफ – अनाज (और अन्य कृषि उत्पादों) की राज्य द्वारा ख़रीदी और सामान्य रूप से इन उत्पादों का राज्य द्वारा आम लोगों में वितरण है।"

(श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व के युग में अर्थशास्त्र और राजनीति, 7 नवंबर, 1919)

मज़दूर–किसान गठबंधन

मज़दूर–किसान गठबंधन सोवियत राज्य की और श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व की रीढ़ था।

1905 से फरवरी 1917 की अवधि के दौरान, रूस में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ज़ार की राजशाही और कुलीन ज़मींदारों द्वारा किसानों के सामंती उत्पीड़न को समाप्त करना था। उस दौर में बोल्शेविक पार्टी की रणनीति थी – पूंजीपति वर्ग को अलग करते हुए, ज़मींदारों और ज़ारवादी राज्य के ख़िलाफ़ सभी किसानों के साथ श्रमजीवी (मज़दूर) वर्ग का गठबंधन बनाना।

ज़ार की राजशाही को उखाड़ फेंकने के बाद, फरवरी से अक्तूबर 1917 की अवधि के दौरान वर्ग संघर्ष का मुख्य उद्देश्य था रूस के साम्राज्यवादी वर्चस्व को समाप्त करना और प्रथम विश्व युद्ध से अपने देश को अलग करना। पार्टी की रणनीति थी – पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़, ग़रीब किसानों के साथ हाथ मिलाना और उनके साथ, अपना गठबंधन मजबूत करना। साथ ही निम्न पूंजीपतियों की पार्टियों को अलग करना जो साम्राज्यवाद के साथ समझौता स्वीकार करने के लिए किसानों को लामबंध करने की कोशिश कर रही थीं।

अक्तूबर क्रांति की जीत के बाद, साम्राज्यवादी सशस्त्र हस्तक्षेप की अवधि के दौरान मज़दूर–किसान गठबंधन एक निश्चित समझ पर आधारित था। सोवियत सरकार की तरफ से किसानों को ज़मीन के साथ–साथ, ज़मींदारों और कुलकों से सुरक्षा भी मिली और मज़दूरों को अधिशेष–विनियोग (सरप्लस एप्रोप्रियेशन) प्रणाली के तहत किसानों से खाद्य पदार्थ मिले।

जब तक गृहयुद्ध चल रहा था ग़रीब और मध्यम किसानों ने राज्य द्वारा उनके पूरे अधिशेष–उत्पाद (सरप्लस) को लेने की, राज्य–विनियोग की नीति को स्वीकार किया। एक बार जब शांति बहाल हो गई, तो उनके बीच असंतोष प्रकट होने लगा। 1920 के अंत में जब गृहयुद्ध समाप्त हो गया था और जमींदारों के वापस लौटने का भी कोई ख़तरा नहीं था, कई किसानों ने अपनी पूरी अधिशेष–उपज को राज्य को देने के ख़िलाफ़ अपना असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया।

बोल्शेविक पार्टी ने महसूस किया कि अधिशेष–विनियोग प्रणाली और "युद्ध कम्युनिज़्म" के शासन को अब कर (टैक्स) के रूप में बदलने का समय आ गया है। अधिशेष–उपज के केवल एक हिस्से को ही राज्य द्वारा लेने के साथ–साथ किसानों को अपनी मर्ज़ी से अपनी अधिशेष–उपज के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल करने की छूट दी गयी। यह क़दम उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की योजना को भी मजबूत करने की तरफ एक सार्थक क़दम था। इस तरह नयी व्यवस्था का उद्देश्य था – कृषि को पुनर्जीवित करना, उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनाज और औद्योगिक फ़सलों की खेती का विस्तार करना, वस्तुओं के संचलन को पुनर्जीवित करना और कस्बों में खाद्यान की आपूर्ति में सुधार करना। इस नई आर्थिक नीति (एन.ई.पी.) की यही एक प्रमुख विशेषता थी जिसे मार्च 1921 में आयोजित पार्टी की दसवीं कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था।

बोल्शेविक पार्टी को यह पता था और पार्टी ने खुले तौर पर यह स्वीकार भी किया कि यह नई आर्थिक नीति शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच व्यापार में निजी उद्यम के विकास की ओर ले जाएगी और उस हद तक यह पूंजीवाद के ख़िलाफ़ श्रमजीवी संघर्ष की एक पीछे हटने की स्थिति थी। लेनिन ने समझाया कि पार्टी के लिए, श्रमजीवी हिरावल दस्ते के लिए, एक सुनियोजित तरीके से उस समय इस आर्थिक नीति का आयोजन करना आवश्यक था ताकि मंझोले किसानों के बीच समर्थन खोने का जोखिम न झेलना पड़े। (मंझोले किसानों पर जीत पर बॉक्स 3 देखें)

श्रमजीवी वर्ग और मेहनतकश किसानों के बीच एक विश्वसनीय दीर्घकालिक गठबंधन बनाने की लाइन का विरोध करने वाले अवसरवादियों के नेतृत्व वाले गुटों के ख़िलाफ़, पार्टी के भीतर एक लंबे संघर्ष के बाद ही इस नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। इस तरह के विरोध की सबसे ख़तरनाक प्रवृत्ति का नेतृत्व, लियोन ट्रॉट्स्की ने किया था जिसे एंग्लो–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अपने सबसे भरोसेमंद एजेंटों में से एक के रूप में तैयार किया था।

ट्रॉट्स्की ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि किसान समग्र रूप से देश की आबादी का एक प्रतिक्रियावादी तबका था, जिसके साथ कोई विश्वसनीय गठबंधन नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ उत्पीड़ित राष्ट्रों के संघर्ष को एक पूंजीवादी आंदोलन के रूप में माना और इसलिए ऐसे संघर्षों का श्रमजीवी वर्ग को समर्थन नहीं करना चाहिए। इस ग़लत आकलन के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि रूसी श्रमजीवी तब तक राजनीतिक सत्ता पर क़ाबिज़ नहीं हो सकता जब तक कि श्रमजीवी क्रांति, यूरोप के एक या अधिक उन्नत पूंजीवादी देशों में जीत हासिल नहीं कर लेती। लेनिन ने इस लाइन को बेनकाब करने और उसे हराने के संघर्ष का नेतृत्व किया, यह एक ऐसा संघर्ष था जिसे आख़िरकार 1921 में पार्टी की दसवीं कांग्रेस में सफलता हासिल हुई।

नई आर्थिक नीति सही है इसकी यथार्थता अपने पहले वर्ष में ही सिद्ध हो गई थी। इसके अपनाने जाने से मज़दूरों और किसानों के बीच गठबंधन को एक नए आधार पर बनाने और मजबूत करने में काफी मदद मिली। श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व और मजबूत व ताक़तवर बना। मध्यम किसानों ने सोवियत सरकार को कुलक गुट के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद की। कृषि क्षेत्र में लगातार विकास हुआ। उद्योग और रेलवे अपनी पहली सफलता दर्ज़ कर सके। एक आर्थिक पुनरुत्थान शुरू हुआ। मज़दूरों और किसानों ने महसूस किया और स्पष्ट देखने में आया कि पार्टी सही रास्ते पर है।

शेष अगले पृष्ठ पर

बॉक्स–2 : विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ संघर्ष

ऐसे समय में जब अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध अभी भी पूरे ज़ोरों पर जारी था, रूस और जर्मनी के बीच शांति–संधि पर सहमति और सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों और उनके सहयोगियों, जापानी और अमरीकी साम्राज्यवादियों के बीच गहरा ख़तरा और चिंता पैदा कर दी। साम्राज्यवादियों ने सोवियत राज्य को ख़त्म करने और पूंजीपतियों की राज्य सत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों द्वारा रूस में हस्तक्षेप करने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा और उनका अनुमान था कि पूर्व में जारी साम्राज्य के उखाड़ फेंके गए शोषक वर्गों के समर्थन से, वे सोवियत राज्य सत्ता को आसानी से गिरा सकते थे, क्योंकि सोवियत राज्य के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक नियमित सेना तक नहीं थी।

ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमरीकी साम्राज्यवादियों ने "आर्कएंजल अभियान" नामक एक साज़िश में उत्तरी रूस में अपने सैनिकों को उतारा। उन्होंने उन क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया, जहां क्रांति के आंतरिक दुश्मनों के सहयोग से उन्होंने सोवियत संगठनों को तितर–बितर करने में सफलता पाई और इस तरह "उत्तरी रूस की सरकार" की स्थापना का ऐलान कर दिया।

जापानियों ने रूस के पूर्वी छोर में व्लादिवोस्तोक में अपने सैनिकों को उतारा जहां उन्होंने भी सोवियतों को तितर–बितर करने में सफलता पाई और इस प्रकार पुराने शोषकों को शासन करने के लिए वापस कुर्सी पर बैठाया।

साम्राज्यवादियों ने उत्तरी काकेशस, मध्य वोल्गा क्षेत्र और साइबेरिया में शोषकों के गिरोहों के विद्रोह को भी उकसाया। इस तरह के विद्रोहों का नेतृत्व पुरानी सेना के भूतपूर्व जनरलों ने किया था, जिनको ब्रिटिश नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी गठबंधन ने धन और हथियारों की अपूर्ति की थी। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन और ट्रांसकॉकेशिया पर कब्ज़ा कर लिया था। इन सभी हमलों का नतीजा था कि सोवियत रूस को भोजन, कच्चे माल और ईंधन के अपने प्रमुख स्रोतों से वंचित कर दिया गया था।

सबसे निर्णायक बात यह थी कि सोवियत सैनिक, एक ऐसी सरकार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे जो जनता के विशाल बहुमत के हित में काम कर रही थी। इसके विपरीत, शोषकों की सेनाएं एक ऐसे उद्देश्य के लिए लड़ रही थीं जिसे न तो लोगों का समर्थन प्राप्त था न ही जिसके प्रति लोगों की सहानुभूति थी।

पार्टी ने देश को एक सशस्त्र शिविर घोषित कर दिया और अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को युद्ध स्तर पर मजबूत करने का फ़ैसला लिया। लाल सेना में सेवा के लिए सैकड़ों हज़ारों मज़दूरों और किसानों ने स्वेच्छा से भाग लिया और युद्ध के मोर्चे के लिए रवाना हो गए। पार्टी और यंग कम्युनिस्ट लीग के लगभग आधे सदस्य गृहयुद्ध के मोर्चे पर तैनात किये गए।

मज़दूरों और किसानों की रक्षा परिषद ने मोर्चे के सुदृढ़ीकरण, भोजन, कपड़े और हथियारों की आपूर्ति के काम को नेतृत्व प्रदान किया। अनिवार्य सैन्य सेवा के स्थान पर एक स्वैच्छिक प्रणाली के द्वारा लाल सेना में सैकड़ों–हज़ारों नए लोगों को शामिल किया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया – इस प्रकार बहुत जल्द ही लाल सेना में सैनिकों की संख्या बढ़कर दस लाख से भी अधिक हो गयी।

अत्यंत कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद लाल सेना ने आखिर में साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादी ताक़तों को हराने में सफलता हासिल की। इस जीत में सबसे निर्णायक बात यह थी कि सोवियत सैनिक, एक ऐसी सरकार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे जो जनता के विशाल बहुमत के हित में काम कर रही थी। इसके विपरीत, शोषकों की सेनाएं एक ऐसे उद्देश्य के लिए लड़ रही थीं जिसे न तो लोगों का समर्थन प्राप्त था न ही जिसके प्रति लोगों की सहानुभूति थी।

लाल सेना ने जीत हासिल की क्योंकि वह उस उद्देश्य के औचित्य को समझती थी जिसके लिए वह लड़ रही थी। लाल सेना के साथियों ने एक अडिग वफादारी और मौत को भी मात देने वाले साहस का परिचय दिया और बहादुरी के साथ इस युद्ध में संघर्ष किया।

लेखांकन, ट्रेड यूनियन और समाजवादी अनुकरण

बड़े पैमाने पर उत्पादन और विनिमय के साधनों के राष्ट्रीयकरण ने सोवियत राज्य के लिए औद्योगिक उत्पादन को एक नयी दिशा में उन्मुख करने और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की संभावना पैदा की। इस संभावना को हक़ीक़त में बदलने के लिए राज्य के पास जनसंख्या द्वारा उत्पादित और उपभोग की जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की मात्रा की सटीक तस्वीर होना आवश्यक था। उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लगाये गए मानव श्रम की मात्रा और गुणवत्ता का सटीक लेखा–जोखा होना भी आवश्यक था।

अक्तूबर क्रांति की जीत के तुरंत बाद लेनिन ने लिखा, *"लेखांकन और नियंत्रण, यदि मज़दूरों, सैनिकों और किसानों की सोवियतों के द्वारा एक सर्वोच्च राज्य शक्ति के रूप में या उनके निर्देश पर उनके एक अधिकार के रूप में किया जाता है – एक व्यापक, सामान्य, सार्वभौमिक लेखांकन और नियंत्रण, समाज में लगाये गए श्रम की मात्रा और उत्पादों के वितरण का लेखांकन और नियंत्रण – श्रमजीवी वर्ग की राजनीतिक सत्ता की स्थापना और उसके सुरक्षित होने के बाद, यही समाजवादी परिवर्तन का सार है।"*

("स्पर्धा का आयोजन कैसे करें?"–24–27 दिसंबर, 1917)

केवल केंद्रीकृत लेखांकन के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए एक समग्र योजना विकसित करना और लोगों की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति हासिल करना संभव है। तभी इस समाजवादी सिद्धांत को साकार करना संभव है : प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके किए गए कार्य के अनुसार।

लेनिन ने ईमानदार लेखांकन और राज्य को सही रिपोर्टिंग के ख़िलाफ़ सभी प्रकार के प्रतिरोध और विरोध के ख़िलाफ़, पार्टी द्वारा छेड़े गए संघर्ष का नेतृत्व किया। छोटे पैमाने के उत्पादकों और व्यापारियों के बीच, जमाखोरों और मुनाफ़ाखोरों के बीच, इस तरह के प्रतिरोध को पार्टी के भीतर साम्राज्यवाद के एजेंटों द्वारा समर्थन दिया गया था, जिसमें ट्रॉट्स्की और बुखारिन के नेतृत्व वाले गुट भी शामिल थे। उन्होंने उद्योग के प्रबंधन को पेशेवर बनाने के लेनिन के प्रस्तावों की आलोचना की – इस तर्क के आधार पर कि यह पूंजीवादी तरीक़ों की वापसी होगी। मार्च 1921 में पार्टी की दसवीं कांग्रेस में उनके तर्क पराजित हुए।

लेनिन ने दिसंबर 1917 में प्रतिस्पर्धा आयोजित करने के बारे में जो लिखा था, वह समाजवादी अनुकरण विकसित करने की नीति के लिए दिशानिर्देश बन गया। पूंजीवादी शोषण के उन्मूलन ने अधिकांश मेहनतकश लोगों को श्रम के क्षेत्र में आकर्षित करने का अवसर पैदा किया जिसमें वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और उन प्रतिभाओं को प्रकट कर सकते हैं जिन्हें पूंजीवादी व्यवस्था में कुचला और दबा दिया गया था। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्य करने वाली टीम और प्रत्येक उद्यम को सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वालों का अनुकरण करके, उच्चतम मानकों को प्राप्त करने की कोशिश करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया।

पार्टी की दसवीं कांग्रेस में जो विवाद छिड़ा उनमें से एक ट्रेड यूनियनों की भूमिका और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके संबंध के सवाल पर था। ट्रॉट्स्की और उनके अनुयायियों ने एक सैन्यवादी लाइन की वकालत की, जिसके अनुसार पार्टी को आदेश देना चाहिए और ट्रेड यूनियनों को उन आदेशों का पालन करना चाहिए। बुखारिन और उनके अनुयायियों ने इस विचार की वकालत की कि ट्रेड यूनियनों को अर्थव्यवस्था को चलाना चाहिए और इस प्रयास में पार्टी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेनिन ने कांग्रेस में यह तर्क पेश किया कि पार्टी को यूनियनों के संबंध में समझा–बुझाकर आम सहमति बनाने की कोशिश करना चाहिए न कि सैन्य आदेश की पद्धति को उन पर थोपना चाहिये। उन्होंने मज़दूरों की एक अगुआ पार्टी की उस महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया जिसके द्वारा मज़दूर ट्रेड यूनियनों को प्रबंधन के स्कूलों और कम्युनिज़्म के स्कूलों के रूप में विकसित करने में निभानी चाहिए।

पार्टी और श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व को क़ायम रखने के प्रयासों में पार्टी के बीच गुटबाजी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस हक़ीक़त को पहचानते हुए दसवीं कांग्रेस ने पार्टी एकता पर विशेष ध्यान दिया। पार्टी ने सभी गुटों को तत्काल भंग करने का आदेश दिया और सभी पार्टी संगठनों को गुटबाजी के किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया और इन निर्देशों में कांग्रेस के फ़ैसले का पालन न करने के बाद, ऐसे पार्टी सदस्यों का बिना शर्त और तत्काल पार्टी से निष्कासन किया जाना था। इन निर्णयों को "पार्टी एकता" पर एक विशेष प्रस्ताव एक रूप में शामिल किया गया था, जिसे लेनिन ने स्वयं पेश किया था और कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक, जिसमें समाजवादी सोवियत संघ ने विश्व क्रांति को आगे बढ़ाने में सहायता की, वह था मार्च 1919 में तीसरे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन, जिसे कॉमिन्टर्न के नाम से भी जाना जाता है।

विश्व क्रांति का आधार

लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने हमेशा रूस में श्रमजीवी क्रांति की जीत को विश्व स्तर पर समाजवाद और कम्युनिज़्म की प्रगति और अंतिम जीत के संघर्ष में एक क़दम के रूप में माना।

साम्राज्यवाद की परिस्थितियों में विभिन्न पूंजीवादी देशों का असमान विकास, सभी प्रमुख अंतर्विरोधों की तीव्रता और सभी देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों की वृद्धि ने हर देश में श्रमजीवी वर्ग की जीत संभव बना दी है। विजयी देश का श्रमजीवी वर्ग, मेहनतकश बहुसंख्यक लोगों के साथ गठबंधन में अपनी शक्ति को मजबूत कर सकता है और समाजवाद का निर्माण कर सकता है। साथ ही, पूंजीवाद की पुनर्स्थापन के ख़िलाफ़ गारंटी देने वाले समाजवाद की पूर्ण और अंतिम जीत के लिए कम से कम कई देशों में श्रमजीवी क्रांति की जीत की ज़रूरत है। इन सैद्धांतिक निष्कर्षों के आधार पर लेनिन ने विजयी क्रांति के कार्य को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया :

"सभी देशों में क्रांति के विकास, समर्थन और जागृति के लिए एक देश में यथासंभव प्रयास करना।"

("श्रमजीवी क्रांति और गद्दार काउत्स्की", अक्तूबर–नवंबर 1918)

पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी वर्ग के एक मुक्त आधार–क्षेत्र के रूप में उभरा। यह साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ उनके संघर्ष में सभी उत्पीड़ित राष्ट्रों और लोगों के लिए सबसे विश्वसनीय समर्थक के रूप में उभरा।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक, जिसमें समाजवादी सोवियत संघ ने विश्व क्रांति को आगे बढ़ाने में सहायता दी, वह था मार्च 1919 में तीसरे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन, जिसे कॉमिन्टर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा समय था जब रूसी क्रांति की जीत ने अन्य यूरोपीय देशों के श्रमजीवी वर्ग को प्रेरित किया था, विशेष रूप से वे देश जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गए थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी में क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा था। विभिन्न देशों में नई कम्युनिस्ट पार्टियां उभर कर सामने आ रही थीं। साम्राज्यवाद के प्रतिक्रियावादी हमले के सामने सभी देशों के श्रमजीवी वर्ग द्वारा परामर्श और समन्वित कार्रवाई की एक तत्काल आवश्यकता थी।

कॉमिन्टर्न की पहली कांग्रेस में 19 विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग

शेष अगले पृष्ठ पर

बॉक्स 3 : मंझोले किसानों पर जीत

मार्क्सवाद के विज्ञान द्वारा निर्देशित बोल्शेविक पार्टी ने उत्पादन के संबंधों में उनके स्थान के आधार पर किसानों के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर को पहचाना। विशेष रूप से उन्होंने इस हक़ीक़त को स्वीकार किया कि बहुसंख्यक मेहनतकश किसानों और अल्पसंख्यक धनी किसानों के बीच अंतर है। ऐसे अमीर किसान जो ज़मीन के बड़े हिस्से के मालिक हैं और खेती करने के लिए किराए के मज़दूरों पर निर्भर हैं – उनकी सोच और अन्य ग़रीब किसानों की मानसिकता में फ़र्क़ है।

मेहनतकश किसानों में ज्यादातर मंझोले किसान और ग़रीब किसान थे। ग़रीब किसान वे थे जिन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी अल्प कृषि आय को, परिवार के किसी सदस्य द्वारा अर्जित मज़दूरी की आय के साथ जोड़ना पड़ता था। मध्यम किसान वे थे जो अपने परिवार के श्रम के द्वारा अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम थे।

समाजवाद के निर्माण के प्रारंभिक दौर में बोल्शेविक पार्टी ने मंझोले किसानों को अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनके समर्थन को जीतने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया। मार्च 1919 में दिए गए एक भाषण में लेनिन ने मंझोले किसानों के बारे में निम्नलिखित कहा :

"यदि आज की तुलना पूंजीवाद के दौर से करें तो इस प्रकार के मंझोले किसान कम थे, क्योंकि पूंजीवाद के दौर में अधिकांश किसान ग़रीबों की श्रेणी में थे और केवल एक मामूली अल्पसंख्यक तबका जैसा कि अब भी है कुलकों, शोषकों, अमीर किसान की श्रेणी में था।

"ज़मीन के निजी–स्वामित्व को समाप्त करने के बाद से मंझोले किसानों की संख्या बढ़ रही है और सोवियत सरकार ने उनके साथ हर क़ीमत पर पूर्ण शांति और सद्भाव के संबंध स्थापित करने के लिए, दृढ़ता से संकल्प लिया है। इस हक़ीक़त से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि मंझोला किसान तुरंत समाजवाद को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह जिस चीज का आदी है, उस पर दृढ़ता से टिका रहता है। वह सभी नए विचारों के बारे में सतर्क रहता है वह सभी नए विचारों और आविष्कारों का एक तथ्यात्मक, व्यावहारिक परीक्षण करना चाहता है – वह अपने जीवन का रास्ता बदलने का फ़ैसला तब तक नहीं करता, जब तक वह आश्वस्त नहीं हो जाता कि परिवर्तन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है।

"यही कारण है कि हमें इस नियम को जानना, याद रखना और व्यवहार में लाना चाहिए कि जब कम्युनिस्ट कार्यकर्ता ग्रामीण जिलों में जाते हैं तो उन्हें मंझोले किसानों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है कि उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करें। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मेहनतकश किसान जो दूसरों के श्रम का शोषण नहीं करते हैं, वे शहरी मज़दूरों के साथी हैं और हमें उनके साथ ईमानदारी और विश्वास से प्रेरित एक स्वैच्छिक गठबंधन स्थापित करना चाहिए और यह करना बिलकुल मुमकिन है। कम्युनिस्ट सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक उपाय को मंझोले किसानों के बीच केवल एक सलाह के रूप में, एक सुझाव के रूप में, उन्हें नयी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए एक निमंत्रण के रूप में ले जाना चाहिए।

"इन उपायों को व्यवहार में परखने के काम में सहयोग से यह पता लगाने से कि वे किस तरह से ग़लत धारणाओं से प्रेरित हैं, संभावित त्रुटियों को दूर करने और मंझोले किसान के साथ एक समान समझ बनाने के उद्देश्य से काम करने से, केवल इस तरह के सहयोग से ही मज़दूरों और किसानों के बीच गठबंधन मजबूत हो सकता है और सुनिश्चित किया जा सकता है। यह गठबंधन सोवियत सत्ता की मुख्य ताक़त और एक मजबूत आधार है। यह गठबंधन एक संकल्प है कि समाजवादी परिवर्तन सफल होगा, पूंजी पर विजय प्राप्त होगी और इसके सभी रूपों में शोषण को समाप्त किया जाएगा।"

लिया। लेनिन ने पूंजीवादी लोकतंत्र और सोवियत व्यवस्था के विषय पर एक रिपोर्ट पेश की। कांग्रेस ने सभी देशों के श्रमजीवी वर्ग के लिए एक घोषणापत्र अपनाया, जिसमें उन्हें श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व और दुनियाभर में सोवियत संघ की जीत के लिए एक दृढ़ संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया गया। 1920 में बुलाई गई कॉमिन्टर्न की दूसरी कांग्रेस में 37 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मार्क्सवाद–लेनिनवाद के विज्ञान द्वारा निर्देशित, मज़दूर वर्ग के अपने संघर्ष को आगे ले जाने के लिए एक लाइन के समर्थन में, कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों की वैचारिक–राजनीतिक एकता को विकसित करने में कॉमिन्टर्न ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवाद के लिए श्रमजीवी वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के विकास का सारांश पेश करते हुए लेनिन ने अप्रैल 1919 में लिखा :

"प्रथम इंटरनेशनल ने समाजवाद के लिए श्रमजीवी, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की नींव रखी।

"द्वितीय इंटरनेशनल ने एक ऐसी अवधि को चिन्हित किया जिसमें कई देशों में आंदोलन के व्यापक प्रसार के लिए ज़रूरी हालातें तैयार की गई थीं।

"तीसरे इंटरनेशनल ने दूसरे इंटरनेशनल के काम का फल इकट्ठा किया है, अपने अवसरवादी, सामाजिक – अंधराष्ट्रवादी, पूंजीवादी और निम्न – पूंजीवादी कूड़े को त्याग दिया है और श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व को लागू करना शुरू कर दिया है।

"दुनिया में सबसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, पूंजी की गुलामी और बोझ को उखाड़ फेंकने के लिए श्रमजीवी वर्ग का आंदोलन अब अभूतपूर्व रूप से एक दृढ़ आधार पर टिका हुआ है"।

(लेनिन, "द थर्ड इंटरनेशनल एंड इट्स प्लेस इन हिस्ट्री", 15 अप्रैल, 1919")

लेनिन के अंतिम वर्ष

नवंबर 1922 में लेनिन ने मॉस्को सोवियत की एक परिपूर्ण बैठक में भाषण दिया जिसमें उन्होंने सोवियत शासन के पांच वर्षों की समीक्षा की। उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि "नयी आर्थिक नीति (एन.ई.पी.) वाला रूस, एक समाजवादी रूस बन जाएगा"। गंभीर रूप से बीमार पड़ने से पहले देश के लिए यह उनका आखिरी भाषण था।

बीमारी में भी लेनिन ने कई अत्यंत महत्वपूर्ण लेख लिखे, जिसमें उन्होंने सहकारी–समितियों के निर्माण के मार्ग के माध्यम से किसानों को उस उद्देश्य में शामिल करके देश में समाजवाद के निर्माण की योजना की रूपरेखा तैयार की। लेनिन ने पेश किया कि कृषि के विकास के लिए कृषि में सामूहिक सिद्धांत को धीरे–धीरे शामिल करने की ज़रूरत है, पहले बिक्री में और फिर कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य को हासिल करने में।

1923 के अंत तक सभी क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति देखी जा सकती थी। 1921 के बाद से कृषि फ़सल पैदा करने के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी और किसानी खेती में लगातार सुधार हो रहा था। समाजवादी उद्योग बढ़ रहा था और विस्तार कर रहा था। मज़दूर वर्ग की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। मज़दूरी बढ़ गई थी। 1920 और 1921 की तुलना में मज़दूरों और किसानों के लिए जीवन आसान और बेहतर हो गया था। हालांकि, उद्योग अपने युद्ध पूर्व स्तर पर पूरी तरह से अभी तक नहीं पहुंचा था और देश में दस लाख लोग बेरोज़गार थे।

मार्च 1919 में तीसरे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन हुआ, जिसे कॉमिन्टर्न के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा समय था जब रूसी क्रांति की जीत ने अन्य यूरोपीय देशों के श्रमजीवी वर्ग को प्रेरित किया था, विशेष रूप से वे देश, जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गए थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी में क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा था। विभिन्न देशों में नई कम्युनिस्ट पार्टियां उभर कर सामने आ रही थीं। साम्राज्यवाद के प्रतिक्रियावादी हमले के सामने, सभी देशों के श्रमजीवी वर्ग द्वारा परामर्श और समन्वित कार्रवाई की एक तत्काल आवश्यकता थी।

दिसंबर 1922 में सोवियत संघ की पहली अखिल–संघीय कांग्रेस आयोजित की गई थी। लेनिन और स्टालिन के प्रस्ताव पर सोवियत राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक राज्य संघ बनाया गया जो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यू.एस.एस.आर.) के नाम से जाना जाता है।

मूल रूप से सोवियत संघ में रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य और तीन अन्य गणराज्य, ट्रांसकोकेशियन, यूक्रेन और बेलारूस शामिल थे। कुछ समय बाद, मध्य एशिया में तीन स्वतंत्र संघ सोवियत गणराज्य – उज्बेकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान – का गठन किया गया। इन सभी गणराज्यों ने 1922 में, सोवियत राज्यों का एक एकल संघ बनाने के लिए एकजुट किया – यू.एस.एस.आर. – स्वैच्छिक और समान आधार पर उनमें से प्रत्येक के लिये सोवियत संघ से स्वतंत्र रूप से अलग होने का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। इसने सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण को चिन्हित किया। राष्ट्रीय प्रश्न पर बोल्शेविक पार्टी की सैद्धांतिक नीति के लिए यह एक बड़ी जीत थी।

साम्राज्यवादियों ने इस सच्चाई का फ़ायदा उठाते हुए कि, लेनिन गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्होंने पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ अपने आक्रमण को बढ़ाने के लिए अपने एजेंटों को सक्रिय कर दिया। ट्रॉट्स्की ने पार्टी में अन्य अवसरवादी तत्वों के साथ मिलकर "46 विपक्षियों की घोषणा" नामक एक मंच (फोरम) प्रकाशित किया, जिसने एक गंभीर आर्थिक संकट और सोवियत राज्य के जल्दी ही पतन की भविष्यवाणी की। इसने पार्टी के भीतर गुटों को आज़ादी देने का आह्वान किया, क्योंकि कथित तौर पर स्थिति को बचाने का यही एकमात्र तरीक़ा था। इसके बाद ट्रॉट्स्की द्वारा एक पत्र का प्रकाशन किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि "पुराने" बोल्शेविक नेता बहुत गिर गए थे और उन्होंने पार्टी नेतृत्व के ख़िलाफ़ युवा साथियों को उकसाने की भी कोशिश की थी।

जनवरी 1924 में सोवियत पार्टी ने अपना तेरहवां सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन ने ट्रॉट्स्कीवादी विरोध की निंदा करते हुए घोषणा की कि यह मार्क्सवाद से हटकर एक निम्न–पूंजीवादी विचलन था। हालांकि, इसी वर्ष 21 जनवरी को एक आपदा ने पार्टी की नीति की सफलताओं को धूमिल कर दिया। मॉस्को के पास गोर्की गांव में लेनिन का निधन हो गया।

लेनिन के निधन के बाद के दिनों में पार्टी में प्रवेश के लिए, कार्यकर्ताओं से हज़ारों की संख्या में आवेदन पत्र केंद्रीय समिति को प्राप्त हुए। जो पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे, वे पार्टी के उन उद्देश्यों के लिए अपनी जान देने के लिये तैयार थे, जिन उद्देश्यों के लिए के लिये लेनिन लड़े थे। थोड़े ही समय में 2,40,000 से अधिक कार्यकर्ता बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए। इसे लेनिन नामांकन कहा जाता था।

मई 1924 में पार्टी ने अपनी तेरहवीं कांग्रेस का आयोजन किया। कांग्रेस ने सर्वसम्मति से ट्रॉट्स्कीवादी विरोधी गुट की निंदा की, इसे लेनिनवाद के संशोधन के रूप में, मार्क्सवाद से एक निम्न–पूंजीवादी विचलन के रूप में पारिभाषित किया।

शहर और देश के बीच के बंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से तेरहवीं कांग्रेस ने लोहे और इस्पात उद्योग के तेज़ी से विकास की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर देते हुए, मुख्य रूप से हल्के उद्योगों के और विस्तार के निर्देश दिए। इसने व्यापारिक निकायों को बाज़ार पर नियंत्रण हासिल करने और निजी पूंजी को, व्यापार के क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर करने का कार्य निर्धारित किया और ज़िम्मेदारी सौंपी। इसने किसानों को सस्ते राज्य–ऋण में वृद्धि के निर्देश दिए ताकि सूदखोरों को ग्रामीण इलाकों से बेदख़ल किया जा सके। इसने ग्रामीण इलाकों में सर्वोपरि कार्य के रूप में किसानों के बीच सहकारी आंदोलन के अधिकतम विकास का आह्वान किया।

अंत में, 13वीं कांग्रेस ने लेनिन नामांकन के महत्व पर ज़ोर दिया और पार्टी का ध्यान लेनिनवाद के सिद्धांतों में युवा पार्टी सदस्यों और लेनिन नामांकन के सभी नए सदस्यों को शिक्षित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयासों को समर्पित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया। 1924 में सेवरडलोव विश्वविद्यालय में स्टालिन द्वारा दिए गए नौ व्याख्यानों को संकलित करके "लेनिनवाद के मूल सिद्धांत" नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसने पिछले 97 वर्षों में सभी देशों के कम्युनिस्टों को शिक्षित करने का काम किया है।

http://hindi.cgpi.org/20947

रक्षा क्षेत्र के मजदूर

पृष्ठ 1 का शेष

जुलाई को पूरे देश में काला दिवस के रूप में भी मनाएंगे। 1 जुलाई को सभी रक्षा कर्मचारी फेडरेशनों द्वारा जारी एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि "जिस तरह से हिन्दोस्तान की सरकार, ट्रेड यूनियन अधिनियम–1926 और औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 के प्रावधानों के तहत रक्षा कर्मियों को मिले कानूनी अधिकारों को छीनकर, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हमारे प्रतिबद्ध और समर्पित कर्मचारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है – यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।" प्रस्ताव में हड़ताल के अधिकार को "कामकाजी लोगों द्वारा विरोध का एक अविभाजित हिस्सा" बताया गया है। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (ए.आई.डी.ई.एफ.), भारतीय राष्ट्रीय रक्षा श्रमिक संघ (आई.एन.डी.डब्ल्यू.एफ.), भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ (बी.पी.एम.एस.) राष्ट्रीय प्रगतिशील रक्षा कर्मचारी संघ (एन.पी.डी.ई.एफ.) और अखिल भारतीय बहुजन रक्षा कर्मचारी संघ (ए.आई.बी.डी.ई.एफ.) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

2 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने एक बयान जारी किया और इस कठोर अध्यादेश के लिए केंद्र सरकार की निंदा की और रक्षा कर्मचारियों के संघर्ष के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है।

अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश छह महीने के लिए होगा लेकिन केंद्र सरकार द्वारा "जनहित" के लिये आवश्यक कहकर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे देश के लोगों का अनुभव यह है कि इस तरह के अध्यादेशों का विस्तार वर्षों तक होता रहता है।

यह राजपत्रित अधिसूचना कुख्यात काले कानूनों में से एक "आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम–1968" (एस्मा) की तरह है। केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करके मज़दूरों के संघर्ष को रोकने के लिए पहले भी कई बार इस अधिनियम का इस्तेमाल किया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इसी उद्देश्य से इसी तरह के कानून लागू किए हैं।

सबसे ताज़ा उदाहरण, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का है, जिन्हें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि जैसी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनकी सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करके, विरोध करने के किसी भी अधिकार से वंचित कर दिया गया था। भले ही उनकी परिभाषा के अनुसार यह एक आवश्यक क्षेत्र है फिर भी केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने लगातार और जानबूझकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की है। पहले भी, राज्य परिवहन कर्मचारी, रेलवे और एयरलाइंस कर्मचारी, सार्वजनिक वितरण से जुड़े कर्मचारी, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता आदि एस्मा के निशाने पर रहे हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पारित इस आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश–2021 की कड़ी निंदा पूरी मेहनतकश जनता द्वारा की जानी चाहिए। हम सब मेहनतकश लोग, जन–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी और समाज–विरोधी इजारेदार पूंजीपतियों के इन हमलों के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष में रक्षा क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

http://hindi.cgpi.org/21102

एक निवेदन

पाठकों से निवेदन है कि मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान तथा समाज की हर मेहनतकश श्रेणी की ज़िंदगी और संघर्ष के बारे में लेख लिखकर भेजें। इससे देश के नव-निर्माण के लिये मज़दूर-मेहनतकश की राजनीतिक एकता बनेगी तथा संघर्ष मजबूत होगा।

फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हत्या की निंदा करें

5 जुलाई, 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई हत्या की हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी बड़े गुस्से के साथ निंदा करती है।

हिन्दोस्तानी राज्य और उसके सभी संस्थान एक ऐसे व्यक्ति की हत्या के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं, जिनका "गुनाह" केवल इतना था कि वे एक विवेकशील व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों पर होने वाले दमन और शोषण का लगातार विरोध तथा पर्दाफ़ाश किया और उनके हक़ों के लिए लड़ते रहे।

स्टेन लॉर्डस्वामी, जिन्हें फादर स्टेन स्वामी के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म 1937 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। एक जेसुइट धर्माचार्य बनकर उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंड क्षेत्र में आदिवासी लोगों के अधिकारों और उन्नति के काम को करने में समर्पित किया था।

फादर स्वामी को अक्तूबर 2020 को, "एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव" के मामले में एन.आई.ए. द्वारा हिरासत में लिया गया था और तबसे अब तक उनको हिरासत में ही रखा गया था। हिन्दोस्तानी राज्य और उसकी जांच एजेंसियों ने उन पर राज्य के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने की साज़िश में भाग लेने का आरोप लगाया था और उन्हें यू.ए.पी.ए. के तहत हिरासत में ले लिया था। फादर स्वामी पर लगाए गए सभी आरोप बनावटी थे।

उन्हें जेल में बंद करने का असली कारण था कि वे हमेशा झारखण्ड के आदिवासी लोगों के हक़ों के लिए खड़े थे, उन लोगों के साथ भी जो, "माओवादियों का ख़तरा ख़त्म" करने के नाम पर चलाये जा रहे बर्बर राजकीय आतंक और हिंसा का शिकार होते थे। आदिवासी लोगों को विस्थापित करके और हमारे लोगों की ज़मीन और अन्य बहुमूल्य संसाधनों को हड़प कर अपनी लालच को पूरा करने वाले बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों की सेवा कर रहे राज्य की भूमिका का पर्दाफ़ाश करने में फादर स्वामी हमेशा आगे रहे। असलियत में राज्य ने उन्हें अपने दुश्मन के रूप में चिन्हित इसीलिए किया क्योंकि वे एक ईमानदार और सच्चे

विवेकशील व्यक्ति थे, जो अपनी कानून की पढ़ाई और ज्ञान के साथ लोगों के हक़ों की लड़ाई लड़ रहे थे और राज्य द्वारा की जाने वाली मनमानी गिरफ़्तारी और हत्याओं पर सवाल उठा रहे थे।

फादर स्वामी पार्किंसन से जूझ रहे थे, जो एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण दुर्बल करने वाली कई पस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें सामान्य रूप से तरल पदार्थ पीना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था कितनी बर्बर है इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और देशभर से हजारों चिंतित लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग के बाद ही जेल अधिकारियों ने फादर स्वामी को सिप्पर कप और फ्लेक्सी–स्ट्रॉ का इस्तेमाल करने की इज़ाज़त दी थी।

फादर स्वामी ने अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे रांची जा सकें, जिसे उन्होंने अपना घर बना लिया था। उनकी जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान, एन.आई.ए. इस हद तक नीचे गिर गई कि उसने अदालत में कहा कि फादर स्वामी "अपने स्वास्थ्य पर कोविड से होने वाले ख़तरे को बढ़ा–चढ़ाकर बता रहे हैं" जिससे उन्हें न्यायालय की सहानुभूति मिल जायेगी और उन्हें जमानत मिल जाएगी – जबकि सच यही है कि उन्हें संक्रमण जेल में ही हुआ था।

लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले इस 84 वर्षीय योद्धा को एन.आई.ए. तथा उनकी जमानत की अर्जी सुनने वाली अदालत और अन्य अधिकारियों ने चिकित्सा उपचार के लिए उन्हें जमानत पर रिहा करने से बार–बार इनकार किया, जबकि वे कई बिमारियों से पीड़ित थे और जेल में उन्हें कोविड–19 का संक्रमण भी हो गया था। उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ने पर मई 2021 में उन्हें आख़िरकार एक अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

अपने कारावास की पूरी अवधि के दौरान, फादर स्वामी ने भीमा कोरेगांव मामले में किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। उनके ख़िलाफ़ बनाई गई 5,000 पन्नों की चार्जशीट में 10 से भी कम पन्नों में उनके ख़िलाफ़ किसी भी बात का उल्लेख है। उस चार्जशीट में ऐसे तथ्य थे जिनके बारे में, बाद में पता चला कि वे सभी तथ्य झूठे और बनावटी थे। इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ़्तार किया गया और बार–बार जमानत से इनकार किया गया था।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले अन्य सभी संगठनों के साथ, लगातार मांग करती रही है कि यू.ए.पी.ए., एन.एस.ए., विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और कई अन्य ऐसे कठोर कानूनों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। ये ऐसे काले कानून हैं जिनके तहत लोगों को गिरफ़्तार करके, बिना किसी आरोप पत्र या मुक़दमे के अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है और यहां तक कि जमानत से भी इनकार किया जा सकता है।

फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हत्या, सभी ज़मीर वाले लोगों के लिए एक आह्वान है कि हम सब मौजूदा बर्बर राज्य को बदलने के लिए संघर्ष को तेज़ करें। एक ऐसा आपराधिक राज्य जो लोगों को ज़मीर के अधिकार तक से वंचित रखता है। उसकी जगह पर हम एक नए राज्य की स्थापना करें, जो मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय अधिकारों के साथ ज़मीर के अधिकार को बिना किसी उल्लंघन के लागू करने की गारंटी देगा।

http://hindi.cgpi.org/21107

विशाखापट्टनम इस्पात प्लांट के मज़दूरों का निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष

विनिवेश और सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन विभाग (दीपम) ने जैसे ही 8 जुलाई को यह घोषणा की कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण की योजना बनाने के लिए तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जायेगा, वैसे ही विशाखापट्टनम इस्पात प्लांट के मज़दूरों ने इसके ख़िलाफ़ प्लांट के मुख्य द्वार पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस और सी.आई.एस.एफ. की भारी तैनाती को चुनौती देकर मज़दूरों ने दिन भर अपना धरना जारी रखा। मज़दूरों ने सार्वजनिक संसाधनों को निजी पूंजीपतियों के हाथों में बेचे जाने के ख़िलाफ़ नारे लगाये और नयी दिल्ली जाकर संसद पर अपना विरोध प्रकट करने की अपनी योजना की घोषणा की।

10 जुलाई को मज़दूरों ने विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों के मज़दूरों ने भारी संख्या में भाग लिया। इसके साथ–साथ, कई मुख्य सरकारी कार्यालयों पर भी प्लांट के निजीकरण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन चल रहे हैं। कई मज़दूर संगठनों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में विशाखापट्टनम इस्पात प्लांट का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के क़दमों के विरोध में एक जनहित याचिका (पी.आई.एल.) भी दर्ज़ की है।

http://hindi.cgpi.org/21115

हिन्दोस्तान के सभी लोगों को रेल के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष का समर्थन करना चाहिए

रेलवे का निजीकरण – भाग 5 :

भारतीय रेल का निजीकरण करने की शासक वर्ग की योजना जोरों से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को तेज़ी से लागू करने के लिए कोरोना महामारी का फ़ायदा उठाया है। सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा बार–बार किए गए वादे कि, भारतीय रेल का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा, ये वादे सरेआम बिलकुल झूठे साबित हुये हैं।

रेलमंत्री ने निजीकरण को नया नाम दिया है। उन्होंने इसे "संपत्ति मुद्रीकरण" कहा है। मंत्री ने समझाया कि इसका मतलब है कि निजी निवेशकों को सबसे अधिक लाभदायक मार्ग सौंपना, तथाकथित सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों का पुनर्विकास करना और सार्वजनिक संपत्ति द्वारा निजी लाभ के अन्य तरीक़ों को बाहर निकालना है।

वास्तव में भारतीय रेल विशाल संपत्ति का मालिक है। यह संपत्ति पूरे समाज की है। इन संपत्तियों को निजी निवेशकों को सौंपना राष्ट्र–विरोधी काम है। इन संपत्तियों को देशी या विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है – वह चाहे किसी भी नाम से या किसी भी औचित्य के साथ किया जा रहा हो।

रेलवे ने नवंबर 2020 में रेलवे के सभी ज़ोनों को अपनी सभी नई भर्तियों को रोकने और सभी रिक्त पदों के 50 प्रतिशत को समाप्त करने के निर्देश जारी किए।

भारतीय रेल पर जबरदस्त हमला हो रहा है। साथ ही यह पूरे समाज पर हमला है।

रेलवे के निजीकरण के अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि उपयोगकर्ताओं और समाज के लिए निजीकरण के लाभों के विभिन्न दावे झूठे साबित हुये। इसके विपरीत, श्रमिकों को अत्यधिक नुकसान हुआ और निजीकरण के बाद उपयोगकर्ताओं की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। निजीकरण के कारण सुरक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई, क्योंकि पूंजीपति अधिकतम लाभ के लिए, अपने अभियान में प्रशिक्षित मज़दूरों में निवेश नहीं करना चाहते हैं या सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं।

जहां कहीं भी रेलवे का निजीकरण किया गया है, वहां पर राज्य ने नए पूंजीवादी मालिकों का बड़े पैमाने पर वित्त पोषिण किया है, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ की गारंटी दी जा सके। तथाकथित सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (पी.पी.पी.) का मतलब है कि नुकसान की भरपाई लोगों के धन से की जाये और मुनाफ़ा पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाये।

कामकाजी लोगों की पहुंच सुरक्षित और किफ़ायती रेल यात्रा तक करने की आवश्यकता है। यह सेवा पूंजीपतियों को सौंपने से इस आवश्यकता की आपराधिक उपेक्षा सुनिश्चित होगी।

रेल का निजीकरण असामाजिक और राष्ट्र–विरोधी है। हिन्दोस्तानी पूंजीपति समाज पर होने वाले परिणामों की परवाह किए बगैर, इस राष्ट्र–विरोधी रास्ते पर चल रहे हैं। रेल मज़दूर और हमारे देश की जनता उन्हें इस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं दे सकते।

रेल मज़दूरों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे किसी भी नाम से निजीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। वे सभी अपनी पार्टी और यूनियनों की संबद्धताओं को अलग करके एक संयुक्त संघर्ष छेड़ेंगे।

भारतीय रेल के निजीकरण का विरोध करने के लिए रेल मज़दूरों ने अपनी एकता को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक क़दम उठाया है। उन्होंने नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेमेंस स्ट्रगल (एन.सी.सी.आर.एस.) का पुनर्गठन किया है। 16 प्रमुख फेडरेशनों, यूनियनों और श्रेणी–वार एसोसिएशनों – ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, भारतीय रेल मज़दूर संघ, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन, इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन, इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस मेंटेनर्स यूनियन, ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स कन्फेडरेशन, इंडियन रेलवे लोको रनिंग मेन्स ऑर्गनाइजेशन, रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन, दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया एससी और एसटी रेलवे एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन तथा साथ ही कामगार एकता कमेटी (के.ई.सी.) – के सर्व हिन्द नेता संघर्ष में एक बैनर तले एक साथ आए हैं। एन.सी.सी.आर.एस. के बैनर तले 1974 में रेल कर्मियों ने ऐतिहासिक रेल हड़ताल की थी।

कामगार एकता कमेटी के साथ–साथ रेल मज़दूरों की फेडरेशनें और यूनियनें भारतीय रेल के निजीकरण के ख़िलाफ़ रेल मज़दूरों के साथ लोगों की एकता बनाने के लिए जनसमूह के बीच एक व्यापक अभियान निरंतर चला रहे हैं। कई यात्री एसोसिएशनें इस जन संघर्ष में शामिल हो गई हैं। इससे निजीकरण के ख़िलाफ़ अभियान को और मजबूती मिलेगी।

रेलवे के निजीकरण के कार्यक्रम को रोकना आवश्यक भी है और संभव भी। निजीकरण के ख़िलाफ़ रेल मज़दूरों के संघर्ष को हमारे देश की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है।

जैसे–जैसे निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ होता जा रहा है, रेल मज़दूरों और उनकी यूनियनों को अपनी एकता को बनाए रखना चाहिये और मजबूत करना चाहिए, चाहे पार्टी या यूनियन की संबद्धता कुछ भी हो। हमें पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक दलों, वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो या कोई और, उन्हें अपने बीच कलह बोने और हमारी एकता को तोड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

शासक पूंजीपति वर्ग की सभी पार्टियां रेलवे के निजीकरण के कार्यक्रम के लिए वचनबद्ध हैं। पूंजीपति वर्ग की एक पार्टी के स्थान पर पूंजीपति वर्ग के निजीकरण के उसी कार्यक्रम को लागू करने वाली दूसरी पार्टी को सरकार में लाने के लिए, रेलवे के मज़दूर संघर्ष और बलिदान नहीं करना चाहते हैं।

भारतीय रेल के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष इजारेदार पूंजीवादी घरानों के नेतृत्व वाले शासक पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ संघर्ष है। निजीकरण का कार्यक्रम पूंजीपति वर्ग का कार्यक्रम है। रेल कर्मचारी अपने संघर्ष को शासक वर्ग की इस या उस पार्टी द्वारा भटकाने नहीं दे सकते।

मज़दूर निजीकरण के ख़िलाफ़ जैसे–जैसे संघर्ष को तेज़ करते हैं, हमें पूंजीपति वर्ग के शासन को मज़दूरों और किसानों के शासन में बदलने का अपना रणनीतिक लक्ष्य रखना चाहिए। तभी हम इजारेदारी पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए तैयार की गई अर्थव्यवस्था को मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करने में सक्षम होंगे।

http://hindi.cgpi.org/21032

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

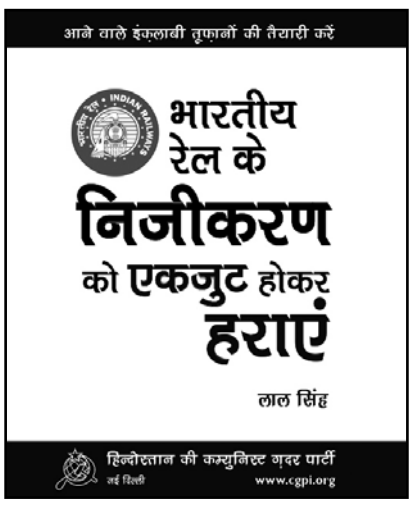

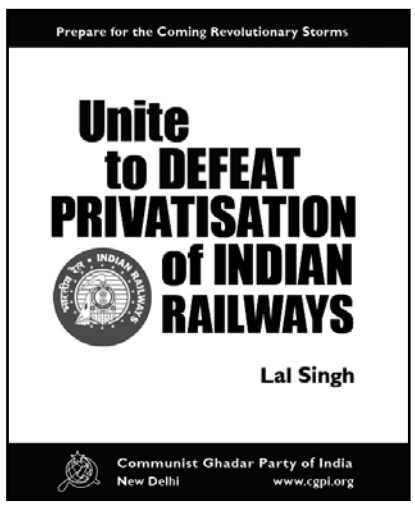

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

संपर्क : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फोन : 09810167911, मूल्य 20 रुपये

Mazdoor Ekta Lehar (Internet Editions)

Hindi: http://www.hindi.cgpi.org, English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org &
Tamil (Thozhilalar Ottrumai Kural): http://www.tamil.cgpi.org
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

अमरीका विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाये रखने के अपने एजेंडे के इर्द-गिर्द अपने सहयोगियों को एकजुट करना चाहता है

अमरीकी राष्ट्रपति, जो बाइडन ने अपना पद संभालने के छह महीने बाद, अमरीका के मुख्य सहयोगियों के साथ बैठक करने के लिए पहली विदेश यात्रा की। 10 जून से 14 जून तक वे जी–7 समूह के देशों के नेताओं से मिलने के लिए इंग्लैंड और यूरोप गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दुनिया की इन सबसे अमीर पूंजीवादी शक्तियों के साथ–साथ, अमरीका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन, नाटो से संबंधित देशों के प्रमुखों से भी मुलाक़ात की।

इस यात्रा का संदर्भ, अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व में एकध्रुवीय दुनिया की स्थापना के उद्देश्य को हासिल करने के लिए बढ़ती चुनौतियां थी। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से, अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपने खुदगर्ज़ हितों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जो कुछ भी करना ज़रूरी है, वह करने का अधिकार उसने अपने आप को दे दिया है। पिछले तीन दशकों के दौरान, अमरीका ने यूगोस्लाविया, अफ़ग़ानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया सहित दुनिया के कई देशों पर आक्रमण किये हैं और उन्हें बर्बाद कर दिया है। ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा जैसे देश, जिन्होंने अमरीका की दादागिरी और धमकियों का विरोध किया है – ऐसे देशों को अमरीका ने उन पर लगाये गए अमानवीय आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा और उत्तेजक सैन्य युद्धाभ्यासों का इस्तेमाल करके, उनको धमकाने और उनकी बेइज्ज़ती करने की कोशिश की है। रूस को नियंत्रित करने और घेरने के लिए, उसने पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के कई देशों में अशांति फैलाने और विद्रोह आयोजित करने की कोशिश है ताकि वहां की सरकारों की जगह, अमरीका द्वारा समर्थित शासकों की हुकूमत बन सके। बढ़ते चीन पर दबाव बनाने के लिए अमरीका ने चीन के पड़ोस के समुद्र में सैन्य युद्धाभ्यास करने के लिए (अमरीका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिन्दोस्तान से मिलकर) क्वाड जैसे नए समूह बनाए हैं।

इन सभी गतिविधियों में अमरीकी साम्राज्यवाद ने, देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का लगातार उल्लंघन किया है। इस अवधि में, अमरीकी साम्राज्यवाद के कारनामों की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए उसने संयुक्त राष्ट्र संघ पर दवाब डालकर, जब और जैसे चाहा उसका इस्तेमाल किया है और जब ज़रूरत पड़ी तो संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी तरह से दरकिनार करके अपने गंदे कामों को अंजाम देने के लिए अपना खुद का गठबंधन (जिसे "इच्छुकों का गठबंधन" कहा जाता है) भी बनाया है। इन गठबंधनों में नाटो जैसे औपचारिक सैन्य गठबंधन शामिल हैं। परन्तु इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर, दुनिया के कई देशों को या तो रिश्वत देकर या डरा–धमकाकर, ब्लैकमेल करके उन्हें अपने गठबन्धनों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर भी किया है। इन गठबंधनों के ज़रिये अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपने खुदगर्ज़ इरादों को हासिल करने के लिए अन्य देशों के संसाधनों और जनशक्ति का शोषण किया है, उनका इस्तेमाल किया है। अमरीका ने अपने हितों की हिफ़ाज़त करने के लिए दुनिया पर लादे गए अपने अभियानों को, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में पेश करके उन्हें वैध साबित करने की भी कोशिश की है, लेकिन हक़ीक़त हमारे सामने है – यह पूरी दुनिया पर अपने हुक्म को लागू करने के लिए एक आक्रामक शक्ति की कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है।

इस यात्रा का संदर्भ, अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व में एकध्रुवीय दुनिया की स्थापना के उद्देश्य को हासिल करने के लिए बढ़ती चुनौतियां थी।

हाल के वर्षों में वैश्विक प्रभुत्व जमाये रखने के लिए अमरीकी साम्राज्यवादी प्रयासों को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अफ़ग़ानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में उसके लंबे समय से चले आ रहे सैन्य अभियान, इन देशों के लोगों के जबरदस्त प्रतिरोध के कारण, विफल हो गए हैं। ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया को डराने–धमकाने की उसकी कोशिशें क़ामयाब नहीं हुई हैं। अमरीका को पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों में रूस के कड़े सैन्य विरोध का सामना करना पड़ा है। चीन की शक्ति में लगातार वृद्धि से अमरीका को ख़तरा है और न केवल अमरीका में ही बल्कि अमरीका से जुड़े अन्य देशों में तथा विदेशों में भी अमरीकी आक्रमण और हस्तक्षेप के विरोध में, बड़ी संख्या में आम लोग बार–बार सड़कों पर पर उतरे हैं। वैश्वीकरण के नाम पर इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों के वर्चस्व और लूट के ख़िलाफ़, आम लोगों ने अपना जबरदस्त विरोध बार–बार, अलग–अलग तरीक़ों से व्यक्त किया है। यूरोप में उसके सहयोगियों के बीच भी, अमरीका की नीतियों का विरोध होता रहा है।

जी–7 के ख़िलाफ़ लोगों का प्रदर्शन (फाइल फोटो)

बाइडन की इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा इसी पृष्ठभूमि में हुई। अमरीका ने यह साबित करने की कोशिश की कि यह लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क़ायम रखने जैसे मूल्यों पर आधारित समान विचारधारा वाले भागीदारों की एक बैठक है। हालांकि, हक़ीक़त में अमरीका द्वारा अपने सहयोगियों को अपनी नीतियों के अनुरूप ढालने का यह एक प्रयास था। विशेष रूप से यह चीन और रूस के ख़िलाफ़ बढ़े हुए विरोध और आक्रामक युद्ध का ऐलान करने की प्रक्रिया भी थी।

न्यू अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर

इससे पहले कि बाइडन जी–7 देशों के समूह और नाटो के नेताओं से मिले, उन्होंने सबसे पहले 10 जून को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ आमने–सामने की एक बैठक की। इस बैठक का परिणाम एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था जिसे कहा गया था – द न्यू अटलांटिक चार्टर

मूल अटलांटिक चार्टर पर 80 साल पहले 1941 में, अमरीकी राष्ट्रपति रूज़वेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इसने ब्रिटेन और अमरीका के बीच बढ़ते संबंधों में एक नए चरण का संकेत दिया, जिसमें ब्रिटेन स्पष्ट रूप से कमजोर भागीदार था जो अमरीका की सहायता पर निर्भर था, जबकि अमरीका प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा। हालांकि उस समय भी दुनिया के एक विशाल साम्राज्य पर ब्रिटेन की हुकूमत क़ायम थी, लेकिन उससे पहले के कुछ दशकों में उसकी ताक़त में गिरावट आई थी और हिटलर के जर्मनी के साथ युद्ध में ब्रिटेन बुरी तरह कमजोर हो गया था।

अस्सी साल बाद एक नए अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करके, अमरीकी साम्राज्यवाद ब्रिटेन और बाकी यूरोप के लोगों को संदेश दे रहा है कि उन सभी देशों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अमरीकी साम्राज्यवाद बहुत मजबूत हुआ। युद्ध के बाद की दुनिया पर हावी होने की अपनी योजना को लागू करने के लिए उसने अपने विशाल आर्थिक और सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया। इसका मुख्य उद्देश्य था, सोवियत संघ और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उभरे अन्य समाजवादी देशों से समाजवाद को नष्ट करना और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए क्रांतिकारी संघर्षों को कुचलना, ताकि पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी शोषण का विस्तार और तेज़ी से किया जा सके। इन मंसूबों को हासिल करने के लिए अमरीका ने नाटो, सीटो और सेंटो जैसे आक्रामक सैन्य गठबंधन स्थापित किए। अमरीका ने सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों के ख़िलाफ़, संयुक्त राष्ट्र और युद्ध के बाद की दुनिया में स्थापित अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों में, हर प्रकार के तरीक़ों से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जारी रखी। उसने विश्व बैंक और आई.एम.एफ. की स्थापना की और इनमें अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसने ग़रीब और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने और इन देशों के शोषण को और भी तेज़ करने के लिए अमरीकी "सहायता" का इस्तेमाल किया। अमरीका ने ग़रीब और विकासशील देशों में क्रांति और समाजवाद को रोकने के लिए, कोरिया और वियतनाम में खूनी युद्ध लड़े। इन सभी गतिविधियों में अमरीकी साम्राज्यवाद को उसके द्वारा बनाए गए गठबंधनों के अन्य सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इनके केंद्र में ब्रिटेन के साथ उसका गठबंधन था, जिसे पहली बार 1941 के अटलांटिक चार्टर में औपचारिक रूप दिया गया था। जबकि ये साम्यवाद (कम्युनिज़्म) के ख़िलाफ़, तथाकथित मुक्त दुनिया के लिए लड़ने के नाम पर किए गए थे, इनका उद्देश्य दुनिया पर अमरीकी साम्राज्यवादी वर्चस्व को स्थापित करना और उसका विस्तार करना था।

अस्सी साल बाद एक नए अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करके, अमरीकी साम्राज्यवाद ब्रिटेन और बाकी यूरोप के लोगों को संदेश दे रहा है कि उन सभी देशों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है।

जी–7 की बैठक

11 से 13 जून तक बाइडन ने इंग्लैंड में आयोजित ग्रुप ऑफ सेवन (जी–7) शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जी–7 की बैठक दुनिया की सबसे अमीर पूंजीवादी–साम्राज्यवादी शक्तियों के शासनाध्यक्षों की वार्षिक बैठक है। इसमें अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान शामिल हैं। इसकी बैठकें 1975 में शुरू हुई थीं, ऐसे समय में जब पूंजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार गहरी मंदी के दौर में प्रवेश किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार करते हुए, विश्व बैंक और आई.एम.एफ. पर हावी देशों का यह छोटा समूह, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेने के लिए, इस मंच का इस्तेमाल करता आया है। इसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त को प्रभावित करने वाले निर्णय शामिल हैं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य मामले भी शामिल हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती आर्थिक ताक़त

शेष अगले पृष्ठ पर

के साथ–साथ, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन देशों के सामूहिक महत्व और प्रभुत्व में गिरावट आई है।

जून में हुई जी–7 की शिखर बैठक ने इस समूह के विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को औपचारिक रूप दिया (देखें मज़दूर एकता लहर का लेख http://hindi.cgpi.org/20815 पर) इसका ऐलान "बिल्ड बैक (ए) बेटर वर्ल्ड" (बी3डब्ल्यू) के नारे के साथ किया गया था। यह दुनिया के बाकी हिस्सों को यह समझाने के प्रयास का उदाहरण है कि दुनिया को अपनी वर्तमान प्रमुख समस्याओं का हल निकालने के लिए इस समूह के नेतृत्व की ज़रूरत है। हालांकि, इस बैठक में की गयी चर्चा में सार बहुत कम था। उदाहरण के लिए, जी–7 देशों को टीकों की जमाखोरी के लिए अन्य देशों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा है, जबकि पूरी दुनिया में कोविड महामारी फैली हुई है। इस शिखर वार्ता में उनके नेताओं ने बाकी दुनिया को वैक्सीन की आपूर्ति करने का वादा किया। हालांकि, हक़ीक़त में उनके आश्वासन, दुनिया की ज़रूरतों से बहुत कम हैं – इन वायदों से उनकी आपूर्ति संभव नहीं है।

अमरीकी साम्राज्यवाद के लिए एक बड़ी चिंता, चीन और 138 अन्य देशों के बीच हाल के वर्षों में हस्ताक्षरित समझौते हैं, जिनमें उन देशों में सड़कों, पाइपलाइनों, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीनी निवेश शामिल है। चीन की इस बड़ी पहल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बी.आर.आई.) के नाम से जाना जाता है। इटली और जर्मनी सहित कई यूरोपीय देश बी.आर.आई. का हिस्सा हैं। यह अमरीका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

जी–7 शिखर सम्मेलन में अमरीका ने अपने भागीदारों पर यह घोषणा करने के लिए दबाव डाला कि वे मिलकर, अन्य देशों की बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए चीन के बी.आर.आई. से बेहतर विकल्प को पेश करेंगे। हालांकि, इसके लिए न तो कोई सुसंगत योजना की रूपरेखा पेश की गई और न ही ऐसे उद्यम के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं या उनके लिए धन के स्रोत का उल्लेख किया गया।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने अन्य मोर्चों पर भी आज की दुनिया में मुख्य चुनौती के रूप में चीन का सामना करने के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। यह बैठक के अंत में जारी संयुक्त बयान में स्पष्ट देखने में आया, जिसमें शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों और ताइवान समुद्र–संधि और दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में नौपरिवहन की स्वतंत्रता सहित कई संदर्भों में चीन की निंदा की गई। हालांकि, यह स्पष्ट था कि अमरीका को इस छोटे से समूह के भीतर भी चीन के ख़िलाफ़ एक आम मोर्चा बनाने में कठिनाई हो रही थी। कई जी–7 के सदस्यों की चीन के साथ एक मजबूत आर्थिक सांझेदारी है, जिसे छोड़ने की संभावना नहीं है।

शिखर सम्मेलन में जी–7 के नेताओं ने दावा किया कि उनके देश "नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पाखंड की पराकाष्ठा है – सफेद झूठ बोलने की हद है। यह अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगी ही हैं जो हर समय, बिना किसी रोक या अंकुश के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। हाल ही में, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने, ग़ाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर जबरदस्त बमबारी करने और फिलिस्तीनियों को मारने के लिए दुनियाभर में की जा रही इस्राइल की निंदा में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि अमरीका अन्य देशों पर "आतंकवादी" का लेबल लगाने में कोई संकोच नहीं करता। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा बनाए गए और उसके सहयोगियों द्वारा समर्थित नियमों का अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्र–राज्यों के बीच सभ्य व्यवहार से कोई लेना–देना नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार करते हुए, विश्व बैंक और आई.एम.एफ. पर हावी देशों का यह छोटा समूह, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेने के लिए, इस मंच का इस्तेमाल करता आया है। इसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त को प्रभावित करने वाले निर्णय शामिल हैं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य मामले भी शामिल हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती आर्थिक ताक़त के साथ–साथ, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन देशों के सामूहिक महत्व और प्रभुत्व में गिरावट आई है।

इस जी–7 शिखर सम्मेलन में हिन्दोस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को अतिथि के रूप में कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह पहल अपने साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ाने के लिए हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र में इन देशों का गठबंधन बनाने की अमरीकी रणनीति का एक हिस्सा है।

नाटो शिखर सम्मेलन

जी–7 शिखर सम्मेलन के बाद 14 जून को बेल्जियम के ब्रसेल्स में अपने मुख्यालय में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के नेताओं की बैठक हुई।

70 से अधिक वर्षों से नाटो दुनियाभर में, अपने आक्रामक युद्धों को अंजाम देने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में एक अग्रणी सैन्य गठबंधन रहा है।

पश्चिमी यूरोप के देशों में क्रांति को रोकने के लिये और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में स्थापित सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक देशों में समाजवाद को नष्ट करने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी।

साठ के दशक में सोवियत संघ के एक सामाजिक–साम्राज्यवादी शक्ति में तब्दील होने के बाद, सोवियत संघ के साथ वैश्विक प्रभुत्व के लिए अमरीका द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख साधन नाटो था, इन दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों की होड़ को शीत युद्ध के रूप में जाना जाने लगा। सोवियत संघ का पतन होने के बाद भी नाटो का पतन नहीं हुआ। इसके विपरीत, अमरीका के एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ, इसने अफ़ग़ानिस्तान, पश्चिम एशिया और पूर्व यूगोस्लाविया सहित, पूरे विश्व में अपने वर्चस्व को और बढ़ाने के अपने प्रयासों में नाटो का बखूबी से इस्तेमाल किया।

रूस की बड़ी और बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के लगातार ख़तरे को देखते हुए, नाटो पिछले कुछ वर्षों से रूस के साथ लगातार टकराव में लगा हुआ है। इसने रूस को घेरने और अलग–थलग करने के उद्देश्य से जानबूझकर बड़ी संख्या में उन राज्यों को अपने खेमे में शामिल किया है जो पहले सोवियत संघ या यूरोप में समाजवादी शिविर का हिस्सा थे। इससे वर्तमान में इसकी सदस्यता 12 से 30 राज्यों तक बढ़ गई है। हालांकि, रूस से यूक्रेन और बेलारूस को अलग करने के लिए अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए प्रयासों का, उन देशों में और रूस द्वारा ज़ोरदार विरोध किया गया है। सीरिया में बशर–अल–असद की सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से 2011 में अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा शुरू किए गए आक्रमण का विरोध करने और उसे हराने में भी, रूस ने सीरिया की बशर–अल–असद सरकार की सहायता की है। इन सभी कारणों से हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन, रूस के ख़िलाफ़ गुस्से से भरे युद्ध के शोर से गूंज उठा और रूस को नाटो के मुख्य विरोधी के रूप में पेश किया गया।

अटलांटिक चार्टर का पुनरुद्धार जी–7 शिखर सम्मेलन की कार्यवाही और जून में नाटो शिखर सम्मेलन, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमरीकी साम्राज्यवाद चीन, रूस और इसके रास्ते में आने वाले सभी देशों के साथ टकराव के ख़तरनाक रास्ते पर चल रहा है। हालांकि, वो ऐसा केवल अकेले नहीं करना चाहता। अमरीका, अपना वैश्विक वर्चस्व जमाये रखने के अपने स्वार्थी एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों के संसाधनों और ताक़तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।

इस शिखर सम्मेलन में अमरीका का एक प्रमुख उद्देश्य, नाटो को चीन के साथ अपने बढ़ते टकराव की ओर अधिकाधिक आकर्षित करना भी था। हाल के वर्षों में चीन की आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति में लगातार वृद्धि के साथ, अमरीकी साम्राज्यवाद अपने वैश्विक प्रभुत्व को क़ायम रखने के रास्ते में चीन को सबसे गंभीर ख़तरे के रूप में देख रहा है। चीन के ख़िलाफ़ व्यापार युद्ध और प्रचार–प्रसार जो अमरीका में पिछले ट्रम्प शासन द्वारा किया गया था, उसे न केवल जारी रखा जा रहा है बल्कि बाइडन सरकार के तहत और आगे बढ़ाया जा रहा है। इस हक़ीक़त के बावजूद कि नाटो के सभी सदस्य चीन को समान रूप से नहीं देखते हैं, अमरीका ने यह सुनिश्चित किया कि पहली बार, नाटो शिखर सम्मेलन के अंत में जारी किए गए बयान में स्पष्ट रूप से रूस के अलावा चीन को नाटो के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

चीन को नाटो के लिए एक चुनौती के रूप में पेश करने के ख़तरनाक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह एशिया के इस हिस्से में, अमरीकी आक्रामक उपस्थिति को गहरा करने का प्रतीक है। पहले से ही हिन्दोस्तानी राज्य को लालच देकर क्वाड समूह में शामिल किया जा चुका है, जिस समूह का उद्देश्य, स्पष्ट रूप से दक्षिण और पूर्वी चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना है। यह "नौपरिवहन की स्वतंत्रता" सुनिश्चित करने के नाम पर किया जा रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्रीय जल पर किसी देश के अधिकारों और संप्रभुता को मान्यता प्रदान करते हैं।

इस नारे का परिणाम क्या हो सकता है, कुछ हफ्ते पहले, हिन्दोस्तान को इसका खुद अनुभव करने का मौका मिला कि कैसे "नौपरिवहन की स्वतंत्रता" के अमरीकी नारे का इस्तेमाल किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है। 7 अप्रैल को, एक अमरीकी युद्धपोत बिना किसी चेतावनी के लक्षद्वीप के पास हिन्दोस्तानी जल क्षेत्र से गुजरा। यह केवल इस बात को साबित करने के लिए किया गया था कि सभी स्वीकृत कानूनों और परंपराओं का उल्लंघन करते हुए, अमरीका को जहां चाहे वहां जाने का "अधिकार" है। इससे एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि अमरीका का सहयोगी या भागीदार होना, उसके हिंसक व्यवहार से किसी को भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।

निष्कर्ष

अटलांटिक चार्टर का पुनरुद्धार जी–7 शिखर सम्मेलन की कार्यवाही और जून में नाटो शिखर सम्मेलन, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमरीकी साम्राज्यवाद चीन, रूस और इसके रास्ते में आने वाले सभी देशों के साथ टकराव के ख़तरनाक रास्ते पर चल रहा है। हालांकि, वो ऐसा केवल अकेले नहीं करना चाहता। अमरीका, अपना वैश्विक वर्चस्व जमाये रखने के अपने स्वार्थी एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों के संसाधनों और ताक़तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अपनी आक्रामक कोशिशों के विरोध के ख़तरे के डर का सामना कर रहे, अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपने उग्रवादी रुख़ को और भी सशक्त किया है और वह अब अपने विरोधियों और साथ–साथ अपने सहयोगियों, दोनों पर दबाव बना रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद के ये प्रयास, आज दुनिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष का मुख्य कारण हैं। यह लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है।

http://hindi.cgpi.org/21120

महंगाई के ख़िलाफ़ देशभर में विरोध प्रदर्शन

8 जुलाई, 2021 को पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूते दामों के ख़िलाफ़ और सभी ज़रूरी चीजों की बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़, सैंकड़ों प्रदर्शन हुए। इसमें बड़ी संख्या में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों ने हिस्सा लिया।

पंजाब और हरियाणा में ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर 10–12 बजे के बीच सब कारोबार बंद रहे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, पानीपत, हिसार, रिवाड़ी, मोहाली आदि जिलों में तथा पंजाब के अमृतसर, जालंधर, पठानकोट जैसे कई जिलों में, ज़ोरदार प्रदर्शन आयोजित किये गये। इसके अलावा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु में भी महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए।

लोगों ने अपने वाहनों – बाइक, कार, ट्रैक्टर, ट्रक और गैस सिलिंडर व चूल्हे के साथ प्रदर्शन किया। अलग–अलग जगहों पर लोगों ने महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध करने का अलग–अलग तरीक़ा चुना। कुछ जगहों पर किसानों और अन्य लोगों ने हॉर्न बजाकर विरोध किया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े कर दिए और अपने खाली गैस सिलेंडर रखकर, तख्तियां और बैनर पकड़कर अपना विरोध दर्ज़ किया। कुछ स्थानों पर किसानों ने ट्रैक्टर जैसे वाहनों को रस्सी से खींचकर अपना विरोध प्रकट किया।

इस समय पेट्रोल और डीजल की क़ीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के क़रीब और कुछ राज्यों में उसके पार पहुंच चुकी हैं। देशभर के मज़दूरों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं में बहुत आक्रोश है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती क़ीमतों से सिर्फ बड़ी पूंजीवादी कंपनियों और सरकार को फ़ायदा है जबकि मज़दूरों, किसानों और आम लोगों के लिए यह अन्यायपूर्ण और असहनीय है।

http://hindi.cgpi.org/21085

नजफ़गढ़ के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन

6 जुलाई, 2021 को दिल्ली नगर–निगम के नजफ़गढ़ जोनल अफिस पर सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले सफाई कर्मचारियों ने नजफ़गढ़ फिरनी मार्ग पर ज़ोरदार रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

इसके साथ ही, मांगों के पूरा होने तक नजफ़गढ़ ज़ोन मुख्यालय के बाहर अनिश्चतकालीन धरना शुरू किया गया है।

इस संघर्ष की अगुवाई एस.डी.एम.सी. संयुक्त मोर्चा का नजफ़गढ़ ज़ोन कर रहा है। ज़ोन के महासचिव ने मज़दूर एकता लहर को बताया कि सन 1998 से 2000 तक के जिस बैच को नगर–निगम ने स्थायी करने के आदेश दिया है, अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। एक मुख्य मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए।

एक और मुख्य मांग है कि जिन स्थायी सफाई कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल तक काम करते हो चुके हैं, वे पढ़े–लिखे नहीं हैं। अतः उन्हें 10 दिन की क्लास और प्रशिक्षण देकर उनके वेतनमान को बढ़ाया जाए। उनका जो बकाया रहता है, उसका भुगतान किया जाए।

सफाई कर्मचारियों की कुछ अन्य मांगें इस प्रकार हैं :

- 1996 से 1998 के बीच पक्के हुए कर्मचारियों के एरियर के भुगतान पर रोक हटायी जाए।
- सभी दिहाड़ी सफाई कर्मचारियों को 1184–3500 रुपए बोनस दिया जाए।
- कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारियों के आश्रितों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए।
- कर्मचारियों को दस्ताने, एन–95 मास्क एवं सेनेटाइजर, रेनकोट व विशेषकर झाड़ू को पूरी तरह से तैयार करके दिया जाए।
- प्रत्येक छः महीने में प्रत्येक कर्मचारी की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाए।
- पिछले तीन साल से वर्दी नहीं मिली है, उसका नगद भुगतान किया जाए एवं इस साल की वर्दी तुरंत दी जाए।
- सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके लाभांश का भुगतान तुरंत किया जाये।

http://hindi.cgpi.org/21079

पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मास मीडिया कर्मचारियों ने जालंधर में 8 जुलाई को, मास मीडिया एम्प्लाइज़ एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के झंडे तले, सिविल सर्जन के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।

वे छठे वेतन आयोग और वित्त विभाग की सिफारिशों का विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों ने अपना वरोध प्रकट करने के लिए उस दिन "कलमबंद हड़ताल" भी की।

हड़ताली कर्मचारी छठे वेतन आयोग में समान योग्यताओं वाले कर्मचारियों के लिए समान वेतन और विसंगतियों को दूर किये जाने की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य मुख्य मांगें हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना और रिक्त पदों को भरा जाना।

एसोसिएशन के नेताओं ने कहा है की मांगें पूरी न होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

http://hindi.cgpi.org/21111

पाठकों से अनुरोध

पाठक हमारे बैंक खाते में आनलाईन पैसे भेज रहे हैं। जो पाठक पैसे भेजते हैं, वे अपने नाम और पते की पूरी जानकारी दें। हमारा वाट्सएप्प नंबर-9868811998 और मो. नं. 9810167911 है।

मध्यप्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी

5 जुलाई, 2021 को मध्यप्रदेश में नर्सों की हड़ताल के छः दिन पूरे हो गए। वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर शुरू हुई हड़ताल, धीरे–धीरे पूरे प्रदेश में फैल गई है। हड़ताल की अगुवाई राज्य नर्सेस एसोसिएशन, मध्यप्रदेश और प्रान्तीय नर्सेस एसोसियेशन कर रही हैं।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल की 300 और सुल्तानियां अस्पताल की 100 नर्सों ने प्रशासन द्वारा अपनी मांगों को न माने जाने पर 28 जून को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया था। वे 28 जून की सुबह हमीदिया अस्पताल के नर्सेस अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित हुईं। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक और गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन के आश्वासन के बाद नर्सें काम पर लौट गई थीं। इसके एक दिन बाद, 30 जून से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी।

बीते कई महीनों से मध्यप्रदेश की नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार और प्रशासन को अवगत कराया है। नर्सों के संगठनों ने शांतिपूर्वक ढंग से अलग–अलग

तरीक़े से अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया है। लेकिन सरकार और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अंत में, नर्सों को मजबूरन हड़ताल पर उतरना पड़ा है।

ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर हैं। इंदौर स्थित महाराजा यशवंत राव अस्पताल पर रोज़ चल रहे प्रदर्शन में, नेशनल हेल्थ मिशन (एन.एच.एम.) की नर्सें भी शामिल हो रही हैं। इससे पहले राधा स्वामी सेंटर सहित अन्य अस्पतालों की 150 से ज्यादा नर्सें भी हड़ताल के समर्थन में आगे आ गईं।

सरकार नर्सों की जायज़ मांग को मानने की जगह पर हड़ताल को तोड़ने के लिए नर्सों के बीच गुटबाजी को हवा दे रही है। सरकार नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे अनुभवहीन छात्रों से काम चला रही है।

नर्सें अपनी मांगों को लेकर अपने–अपने अस्पताल के गेट के सामने बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन में नर्सों ने कोरोना वॉरियर्स सम्मान को लहरा–लहराकर सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और इस सम्मान को राज्य के मुख्यमंत्री को लौटाने की धमकी दी।

हड़ताली नर्सों की मुख्य मांगें हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाये; कोरोना काल में काम करने वाली नर्सों को दो वेतन वृद्धि दी जाए; भर्ती नियमों में मांगे गए संशोधन किये जायें; सेवारत नर्सों को उच्च शिक्षा की सुविधा दी जाये; सातवें वेतन आयोग के लाभ सभी नर्सों को समान रूप से मिलें; कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया जाए; और पुरुष नर्सों की भर्ती भी तत्काल की जाए।

नर्सों के अडिग संघर्ष की वजह से स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी स्टेट नर्सेस एसोसियेशन और प्रान्तीय नर्सेस एसोसियेशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिये बुलाने को मजबूर हुये हैं।

http://hindi.cgpi.org/21073

प्रेस विज्ञप्ति

पृष्ठ 1 का शेष

बैठक में निम्नलिखित सर्व हिन्द नेताओं ने भाग लिया :

1. श्री शिव गोपाल मिश्रा, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (ए.आई.आर.एफ.) के महासचिव, नेशनल कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेमेन्स स्ट्रगल (एन.सी.सी.आर.एस.) के संयोजक और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एन.जे.सी.ए.) के संयोजक।
2. डॉ. एम. राघवैया, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एन.एफ.आई.आर.) के महासचिव, नेशनल कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेमेन्स स्ट्रगल (एन.सी.सी.आर.एस.) के सह–संयोजक और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एन.जे.सी.ए.) के अध्यक्ष।
3. श्री एस.एन. पाठक, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (ए.आई.डी.ई.एफ.) के अध्यक्ष और श्री शरद बोरकर, हिंद मजदूर सभा के मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव।
4. श्री शैलेंद्र दूबे, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.) के अध्यक्ष।
5. श्री आर.के. त्रिवेदी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (ए.आई.एफ.ओ.पी.डी.ई.) के अध्यक्ष और महासचिव श्री अभिमन्यु धनखड़।
6. श्री वी.वी. सत्यनारायण, हिंद मज़दूर सभा (एच.एम.एस.) के संयुक्त सचिव, विशाखापट्टनम पोर्ट इम्प्लॉईज़ यूनियन (ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन) विशाखापट्टनम।
7. श्री एस.पी. सिंह, ऑल इंडिया गार्ड्स कौंसिल (ए.आई.जी.सी.) के महासचिव।
8. श्री सुनील कुमार, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.) के महासचिव।
9. श्री के.सी. जेम्स, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के संयुक्त महासचिव।
10. श्री देवीदास तुलजापुरकर, महाराष्ट्र स्टेट बैंक इम्प्लॉईज फेडरेशन (एम.एस.बी.ई.एफ.) के महासचिव।
11. श्री कांथा राजू, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (ए.आई.आर.टी.एम.यू.) के महासचिव।
12. श्री अमजद बेग, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (ए.आई.पी.एम.ए.) के केंद्रीय अध्यक्ष और श्री एन.आर. साई प्रसाद, केंद्रीय संगठन सचिव।
13. डॉ. हेमंत सोनी, ऑल इंडिया रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाईजेशन (आई.आर.टी.सी.एस.ओ.) के महासचिव।
14. श्री संजय पांधी, इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन्स ऑर्गनाइजेशन (आई.आर.एल.एस.ओ.) के अध्यक्ष।
15. डॉ. संजीवनी जैन, सर्व हिन्द उपाध्यक्ष, लोक राज संगठन (एल.आर.एस.)।
16. श्री एल.एन. पाठक, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.) मेन्स यूनियन के महासचिव और श्री रोहित मिश्रा, संगठन सचिव।
17. श्री स्वपन कुमार लाहा, चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (सी.आर.एम.सी.) के महासचिव, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल।
18. श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, महासचिव, डॉ. प्रदीप शर्मा, अध्यक्ष और श्री अरविंद प्रधान, सहायक महासचिव, डीजल लोको वर्क्स (डी.एल.डब्ल्यू.) मेन्स यूनियन, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।
19. श्री द्वारकानाथ एच.जी., बैंगलोर से रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (आर.डब्ल्यू.एफ.के.एस.) के कार्यकारी महासचिव।
20. डॉ. ए. मैथ्यू, सचिव, कामगार एकता कमेटी।
21. श्री राजेश कुमार, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (एम.सी.डी.एल.डब्ल्यू.) के महासचिव।
22. श्री किशोर नायर, भारत पेट्रोलियम टेक्निकल और नॉन–टेक्निकल इम्प्लॉईज़ एसोसिएशन (बी.पी.टी.एन.टी.ई.ए.)–मुंबई रिफाइनरी के महासचिव।
23. श्री राम रतन सिंह, कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री मज़दूर यूनियन (आर.सी.एफ.एम.यू.) के महासचिव।
24. श्री के. गोबीनाथ, तमिलनाडु के चेन्नई से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मज़दूर संघ (आई.सी.एफ.एम.एस.) के कार्यकारी महासचिव।
25. श्री के.एन. सत्यनारायण, विशाखापट्टनम से हिंदुस्तान पेट्रोलियम एम्प्लॉईज यूनियन के महासचिव।
26. श्री नायब सिंह, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (आर.सी.एफ.एम.सी.) के महासचिव।
27. श्री कृष्णा भोयर, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.टी.यू.सी.) के महासचिव।
28. सुश्री शीना अग्रवाल, पुरोगामी महिला संगठन (पी.एम.एस.)।
29. श्री विजय कुमार, बंगलूरू से रेल व्हील फैक्ट्री (आर.डब्ल्यू.एफ.) मज़दूर यूनियन के महासचिव।

हस्तारक्षित,
डॉ. ए. मैथ्यू द्वारा
"सर्व हिंद निजीकरण विरोधी मंच (ए.आई.एफ.ए.पी.)" के लिये, 5 जुलाई, 21

http://hindi.cgpi.org/21100

Internet Edition
Mazdoor Ekta Lehar Mazdoor
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2018-20

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Jul, 2021 Date of publish - 16 Jul, 2021

To .....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020। email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
09868811998

ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन रक्षा उत्पादन क्षेत्र के श्रमिकों के संघर्ष का समर्थन करता है

रक्षा उत्पादन क्षेत्र के श्रमिकों के समर्थन में ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन द्वारा 6 जुलाई, 2021 को जारी किये गये बयान को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं। इस मंच की स्थापना सभा में फ़ैसला लिया गया था कि रक्षा क्षेत्र, बैंक, बीमा और बिजली क्षेत्रों में निजीकरण के ख़िलाफ़ चल रहे संघर्षों के समर्थन में पत्र लिखे जायें ताकि निजीकरण के ख़िलाफ़ सांझे संघर्षों में एकता व भाईचारा बढ़ाया जा सके। समर्थन की अभिव्यक्ति इस फ़ैसले का पालन करते हुए की जा रही है।

6 जुलाई, 2021

श्री एस.एन. पाठक, अध्यक्ष
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ

ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (ए.आई.एफ.आई.पी.) की ओर से हम आपके संघर्ष के प्रति तहे दिल से अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, जिस संघर्ष को ए.आई.डी.ई.एफ. और अन्य दो फेडरेशनों ने उस कठोर अध्यादेश – 'आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021' – का विरोध करने के लिए शुरू किया है, जिसे केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र के श्रमिकों के संघर्ष को सिर्फ कुचलने के लिए पारित किया है।

यह अध्यादेश सेना से जुड़े उन सभी मजदूरों के प्रदर्शन व हड़ताल करने के उचित अधिकार को छीन लेता है जो रक्षा उपकरण उत्पादन, सेवाओं और संचालन से जुड़े हैं या रक्षा संबंधी किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ–साथ रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत हैं।

हम उस लड़ाई का भी समर्थन करते हैं जिसे ए.आई.डी.ई.एफ. अन्य दो फेडरेशनों के साथ केंद्र सरकार के आयुध निर्माण बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को भंग करने और इसे 7 निगमों में बदलने के निर्णय का विरोध करने के लिए लड़ रही है। जैसा कि कई अन्य क्षेत्रों में किया गया है, यह क़दम रक्षा उत्पादन क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में पहला क़दम है। यह प्रयास पहले भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन हमारे रक्षाकर्मियों के एकजुट संघर्ष ने इसे विफल कर दिया है। आयुध कारखानों के निगमीकरण के सभी पिछले प्रयासों को सफलतापूर्वक हराने के लिए आपने जो संयुक्त संघर्ष किया है, हम उसकी सराहना करते हैं।

रक्षा क्षेत्र का निजीकरण एक राष्ट्र–विरोधी, मज़दूर–विरोधी, जन–विरोधी और समाज–विरोधी क़दम है। बार–बार, हम मज़दूरों ने पाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी उद्यम के निजीकरण के कारण सैकड़ों मज़दूरों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है।

आयुध कारखानों का निर्माण दशकों से हजारों मज़दूरों के और सार्वजनिक धन का उपयोग करके किया गया है। उनके पास पूरे देश में प्रमुख स्थानों में 60,000 एकड़ से अधिक की विशाल मात्रा में भूमि भी है। इन्हीं मूल्यवान संपत्तियों को केंद्र सरकार लालची इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपने की योजना बना रही है। ये संपत्ति हिन्दोस्तान के लोगों की संपत्ति है और इसे निजी लाभ के लिए नहीं सौंपा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने निगमीकरण और निजीकरण के माध्यम से सभी सरकारी–स्वामित्व वाले और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर चौतरफा युद्ध की घोषणा की है। हम सभी के एकजुट संघर्ष ही इन मज़दूर–विरोधी, जन–विरोधी क़दमों को रोक सकते हैं।

आपकी एकजुटता में,
ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन
(ए.आई.एफ.ए.पी.)

घटक :

1) ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.सी.डब्ल्यू.एफ.),
2) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (ए.आई.एफ.पी.डी.ई.),
3) ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (ए.आई.जी.सी.),
4) ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.),
5) ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (ए.आई.पी.एम.ए.),
6) ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.डी.डब्ल्यू.एफ.),
7) ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.),
8) ऑल इंडिया रेलवे इम्पलॉईज़ कॉन्फेडरेशन (ए.आई.आर.ई.सी.) – पश्चिमी क्षेत्र,
9) ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (ए.आई.आर.एफ.),
10) ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (ए.आई.आर.टी.यू.),
11) ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.),
12) ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (ए.आई.टी.सी.ए.),
13) भारत पेट्रोलियम टेक्निकल एंड नॉन–टेक्निकल इम्पलॉईज़ एसोसिएशन (बी.पी.टी.एन.टी.ई.ए.) – मुंबई रिफाइनरी,
14) चित्तरंजन लोको वर्क्स (सी.एल.डब्ल्यू) रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
15) चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (सी.आर.एम.सी.) चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
16) कोचीन रिफाइनरी इम्पलॉईज़ एसोसिएशन (सी.आर.ई.ए. एंड आई.एन.टी.यू.सी.),
17) डी.एम.डब्ल्यू. रेलवे वर्कर्स यूनियन (डी.एम.डब्ल्यू.आर.डब्ल्यू.यू.), पटियाला, पंजाब,
18) दक्षिण रेलवे ईम्पलॉईज़ यूनियन (डी.आर.ई.यू.),
19) डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स (डी.एम.डब्ल्यू.) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब,
20) डीजल लोको वर्क्स (डी.एल.डब्ल्यू.) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
21) हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईम्पलॉईज़ यूनियन, विशाखापट्टनम रिफाइनरी,
22) हिंद खदान मज़दूर फेडरेशन (एच.के.एम.एफ.)
23) इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,
24) इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (आई.आर.एल.आर.ओ.),
25) इंडियन रेलवे टिकटचेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (आई. आर. टी. सी. एस. ओ.),
26) इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ (आई.सी.एफ.एम.एस.) चेन्नई, तमिलनाडु,
27) कामगार एकता कमेटी (के.ई.सी.)
28) लोक राज संगठन (एल.आर.एस.),
29) महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (एम.एस.बी.ई.एफ.),
30) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.टी.यू.सी.)
31) मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (एम. सी. डी. एल. डब्ल्यू.) वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
32) नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एन.एफ.आई.आर.)
33) पुरोगामी महिला संगठन (पी.एम.एस.)
34) रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (आर.सी.एफ.एम.सी.), रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
35) रेल कोच फैक्ट्री मज़दूर यूनियन (आर.सी.एफ.एम.यू.), कपूरथला, पंजाब,
36) रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब,
37) रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
38) रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (आर.डब्ल्यू.एफ.के.एस.), बैंगलोर, कर्नाटक,
39) रेल व्हील फैक्ट्री (आर.डब्ल्यू.एफ.) मज़दूर यूनियन, बैंगलोर, कर्नाटक,
40) रिसर्च डिजाइन और स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (आर.डी.एस.ओ.) कर्मचारी संघ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

http://hindi.cgpi.org/21096

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के 5वें महाअधिवेशन की रिपोर्ट

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध
(कीमत 100 रू. और डाक खर्च 40 रू.)
निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी,नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :– ई–392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810187911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com